

**16 सितंबर 2016 को सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन
मणिपाल – 576 104 में संपन्न होनेवाली
बैंक के शेयरधारकों की
असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना**

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM)
OF SHAREHOLDERS OF THE BANK SCHEDULED TO BE HELD ON
16TH SEPTEMBER 2016 AT SYNDICATEBANK
GOLDEN JUBILEE AUDITORIUM, MANIPAL – 576 104**



**प्रधान कार्यालय: मणिपाल
Head Office : Manipal**

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट:

मेसर्स. कार्वी कम्प्यूटरशेयर (प्रा) लिमिटेड

यूनिट : सिंडिकेटबैंक

कार्वी सेलेनियम टावर बी

प्लॉट सं. 31 – 32, गचीबौली

फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032

दूरभाष: 040 67162222 या 040 67161516 (सीधा)

फैक्स सं.: 040 23001153

टोल फ्री सं. 1800-345-4001

कंपनी सचिव

निवेशक संपर्क केंद्र

सिंडिकेट बैंक – कॉर्पोरेट कार्यालय

दूसरा क्रॉस, गाँधीनगर

बेंगलूरु – 560 009 (कर्नाटक)

दूरभाष 080 22283030 फैक्स सं. 080 22283030

ई-मेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)

निवेशक शिकायत : syndinvest@syndicatebank.co.in

Registrars & Share Transfer Agents:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.

Unit: SyndicateBank

Karvy Selenium Tower B

Plot No. 31 – 32, Gachibowli

Financial District, Nanakramguda

Hyderabad – 500 032

Phone No.: 040 67162222 or 040 67161516 (D)

Fax No.: 040 23001153

Toll Free No. 1800-345-4001

The Company Secretary

Investor Relations Centre

Syndicate Bank – Corporate Office

2nd Cross, Gandhinagar

Bengaluru – 560 009 (Karnataka)

Tel 080 – 22283030 Fax No. 080 22283030

E-Mail : inrc@syndicatebank.co.in (General)

Investor Grievances : syndinvest@syndicatebank.co.in



प्रधान कार्यलय, मणिपाल
Head Office : Manipal

असाधारण आम बैठक/EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

16 सितंबर, 2016 – मणिपाल/16th September, 2016 – MANIPAL

महत्वपूर्ण घटनाओं का कैलेंडर/IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

असाधारण आम बैठक में उपस्थित होने तथा नामित करने, वोट देने और चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण हेतु विनिर्दिष्ट तारीख Specified Date for ascertaining the shareholders eligibility to attend EGM and to nominate, vote and contest in the election	17.08.2016
निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु निर्दिष्ट तिथि Relevant Date for determining issue price	17.08.2016
शेयरधारकों की सूची जिसे अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाना है। List of shareholders to be made available for the candidates	25.08.2016
नामांकन फार्म के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट अंतिम तिथि Last date for submission of nomination form on or before	01.09.2016
नामांकन की छानबीन Scrutiny of nominations	02.09.2016
अभ्यर्थियों की उचित और उपयुक्त स्थिति का निर्धारण Ascertaining fit and proper status of the Candidate	on or before 06.09.2016 को या उससे पहले
अधिमानी आधार पर भारत सरकार को ईक्विटी शेयर निर्गम करने हेतु ई-मतदान के लिए निर्दिष्ट तिथि (निदेशक के निर्वाचन के लिए 17.08.16) E-Voting Cut-off date for issue of equity shares to Government of India on preferential basis (For election of Director it is 17.08.2016)	09.09.2016
प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु प्रॉक्सी फॉर्मों और संकल्पों की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट अंतिम तारीख Last date of receipt of proxy forms and resolutions appointing authorized representatives	09.09.2016
नामांकन वापस लेना Withdrawal of Nominations	09.09.2016
ई-मतदान शुरू होने की तथा इसकी अंतिम तिथि Opening and closing date for E-voting	From 13.09.2016, 9.00 बजे से/a.m. to 15.09.2016, 5.00 बजे तक/p.m.
असाधारण आम बैठक की तिथि और समय Date and Time of Extraordinary General Meeting	16.09.2016, 10.00 बजे से /a.m.

विषय सूची / Contents

सूचना	4
Notice	5
नोट्स	6
Notes	6
कार्यसूची मद सं. 1 के लिए व्याख्यात्मक कथन	9
Explanatory Statement for Agenda Item No. 1	9
घोषणा पत्र	18
Declaration	19
व्यक्तिगत जानकारी	20
Personal Information	21
नामांकन फार्म	26
Nomination Form	27
अनुबंध	28
Annexure	28
उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पत्र	43
Attendance Slip / Entry Pass	44
प्रॉक्सी फार्म	45
Proxy Form	46



प्रधान कार्यलय, मणिपाल

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक शुक्रवार 16 सितंबर 2016 को प्रातः 10.00 बजे सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन, मणिपाल – 576 104 में निम्नलिखित कार्यवाहियों के संव्यवहार करने के लिए होगी:

1. विचार करने के लिए तथा यदि सही पाया जाए तो, निम्नलिखित संकल्प(पों) को विशेष संकल्प(पों) के तौर पर पारित करने के लिए :

“संकल्प किया कि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 तथा सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अनुसार और ऐसे अनुमोदनों को देने में उनके द्वारा निर्धारित शर्तों, निबंधनों और आशोधनों का लगाया जाना और उससे बैंक के निदेशक मंडल का सहमत होना और सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) यथा संशोधित विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम), और समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार तथा उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन करार, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात् ‘बोर्ड’ से तात्पर्य ऐसी पूँजी निर्गम समिति से होगा जिसे बोर्ड द्वारा गठित की गई हो या बाद में गठित की जानेवाली हो, इस संकल्प द्वारा दिए गए अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा) को दी गयी है ताकि पूँजी जुटाने के लिए सेबी आईसीडीआर की विनियमावली के नियम 76(1) के अनुसार ₹ 73.18 (रुपये तिहत्तर एवं अठारह पैसे मात्र) नकद के लिए ₹10/- प्रत्येक की अंकित मूल्य वाले 10,60,39,901 (दस करोड़ साठ लाख उनतालीस हजार नौ सौ एक मात्र) तक के ईक्विटी शेयरों के सृजन, ऑफर, निर्गम तथा आबंटन द्वारा अधिमान आधार पर प्राप्त कुल ₹776.00 करोड़ (रुपये सात सौ छिहत्तर मात्र) भारत सरकार को प्रदान करने हेतु बोर्ड ने निर्णय लिया है।”

“आगे संकल्प किया कि, निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबंधित तिथि 17 अगस्त 2016 होगी।”

“आगे संकल्प किया कि, मंडल या मंडल की समिति को यह प्राधिकार एवं शक्ति प्राप्त होगी कि इस प्रस्ताव में किए गए संशोधनों को या भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य ऐसा कोई उचित प्राधिकारी अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करने/देने और निर्गम की मंजूरी, आबंटन और उन्हें सूचीबद्ध करने के बारे में बोर्ड की सहमति से उन्हें स्वीकार करने का अधिकार होगा।”

“आगे संकल्प किया कि, उक्त जारी किए जाने वाले शेयर बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे और वे घोषित किए जाने वाले लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे, जो ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे।”

“आगे संकल्प किया कि, इस संकल्प को लागू करने के उद्देश्य से मंडल या मंडल की समिति को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य कर सकते हैं, जो अपने अनन्य विवेकाधिकार से करना आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और उक्त ईक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठनेवाले किसी भी आपत्ति, कठिनाई या संदेह का समाधान कर सकते हैं और इसके साथ साथ ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य कर सकते हैं जो सभी प्रलेखों और लेखनों के निष्पादन करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या उचित हों, जो आगे, शेयरधारकों की अनुमति या अनुमोदन के बिना अपने अनन्य विवेकाधिकार से करना उचित या वांछनीय समझते हों या इस प्रयोजन और उद्देश्य से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारक इस पर अपना अनुमोदन अभिव्यक्त रूप से इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा दिया गया समझेंगे।”

“आगे संकल्प किया कि, बोर्ड या निदेशक मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक(कों) या बैंक के ऐसे अन्य कोई अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।”

2. केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से एक निदेशक का चयन जिसके बारे में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, (“विनियमन अधिनियम” कहा गया है) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) (जिसे इसके पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970/1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “योजना” कहा गया है) और सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “विनियमावली” कहा गया है) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् “भा.रि.बैं. की अधिसूचना” कहा गया है) सं. डी.बी.ओ.डी.बी.सी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23 मई, 2011 के साथ पठित अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी. सं. बी.सी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007.08 दि. 01.11.2007 की शर्तों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित करने के लिए 25 मार्च, 2015 और 08 जुलाई, 2016 को सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड (जिसे इसके पश्चात् भारत सरकार का दिशानिर्देश कहा गया है), के अनुसार चयनित निदेशकों के कार्यालय में रिक्ति भरने व निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करने हेतु।

संकल्प किया कि उक्त योजना तथा विनियमावली, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसार केंद्र सरकार से भिन्न, अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक को बैंक के निदेशकों के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है और वे चयन किये जाने की परवर्ती तिथि से अपना कार्यभार संभालेंगे जिस तिथि को उन्हें चयनित माना जाता है और वे कार्यालय में निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि पूरी होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते सिंडिकेटबैंक

31/2/16

(अरुण श्रीवास्तव)

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 17.08.2016

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



Head Office: Manipal

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of SyndicateBank will be held on Friday, 16th September, 2016, at 10.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal 576 104 to transact the following business:

1. To consider and if thought fit, the following resolution(s) as Special Resolution(s):

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include Capital Issues Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to raise capital by creating, offering, issuing and allotting upto 10,60,39,901 (Ten Crore Sixty Lakh Thirty Nine Thousand Nine Hundred and one only) equity shares of face value of ₹10/- each for cash at ₹73.18 (Rs. Seventy Three and Paise Eighteen only) determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹776.00 Crore (Rupees Seven hundred and Seventy Six Crore only) on preferential basis to Government of India.

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 17th August, 2016.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board or Committee of the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/Reserve Bank of India/Securities and Exchange Board of India/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board or Committee of the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board or Committee of the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director/s or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

2. To elect one Director from amongst shareholders of the Bank other than Central Government in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (hereinafter referred to as “ACT” read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the “Regulation Act”), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 (hereinafter referred to as “Scheme”) and SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 (herein after referred to as “Regulations”) and Notification No. DBOD No. BC No. 46 & 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD BC No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as “RBI Notification”) and criteria laid down by Government for consideration as Non-official Directors of Public Sector Banks on March 25, 2015 and July 8, 2016 (hereinafter referred to as GOI Guidelines) to fill the vacancy in the office of the elected Directors and to pass the following resolution:

“RESOLVED THAT One Director elected from amongst shareholders other than Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI notification and GOI Guidelines be and is hereby appointed as Director of the Bank and shall assume office from the date following that on which he/she is deemed to be elected, and hold office until the completion of a period of three years from the date of assumption of office of Director.

By order of the Board of Directors

(Arun Shrivastava)

Managing Director and Chief Executive Officer

Place : Bengaluru

Date : 17.08.2016

नोट्स:

- 1) **व्याख्यात्मक कथन** बैठक की कार्यवाहियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन संलग्न है।

- 2) **मतदान अधिकार**

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2 ई) के उपबंधों यथा संशोधित 2013 के अनुसार, केन्द्र सरकार से भिन्न, समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखता/रखती है तो, वह मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि उक्त अधिनियम, विनियमन अधिनियम तथा योजना विनियमावली में किए गए किसी संशोधन की वजह से इस सूचना में दी गयी वर्तमान प्रक्रिया के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो, उक्त संशोधन अभिभावी होगा।

उपयुक्त के अधीन रहते हुए, विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जिसका नाम विनिर्दिष्ट तारीख को यानी 17.08.2016 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, एक वोट दे सकता है, एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में वह प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट के लिए पात्र होगा। अधिमानी आधार पर भारत सरकार को ईक्विटी शेयर जारी करने की निर्दिष्ट तिथि 9-9-2016 निर्धारित किया गया है।

उक्त विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो उस व्यक्ति को एकल शेयरधारक माना जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में सबसे पहले उल्लेख किया गया हो और वोटिंग के मामले में उसे एकल धारक के रूप में माना जाएगा। यदि शेयर संयुक्त नाम में हैं तो, केवल वही व्यक्ति बैठक में भाग लेने, नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट देने के लिए पात्र है, जिसका नाम पहले है।

- 3) **विनिर्दिष्ट तारीख**

विनियमावली के विनियम 12 के अनुसार, इस नोटिस में वर्णित, केन्द्र सरकार से भिन्न, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले एक निदेशक के चयन के लिए चुनाव में भाग लेने यानी, **नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट देने** के लिए पात्र शेयरधारकों के नामों को निर्धारित करने के उद्देश्य हेतु निर्दिष्ट तारीख 17.08.2016 है।

- 4) **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा स्वयं को छोड़कर मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी, बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म, असाधारण आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम चार दिन पहले अर्थात्, 09 सितंबर, 2016 शुक्रवार को कार्य समय समाप्त होने तक बैंक के प्रधान कार्यालय, मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

- 5) **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

बैंक का शेयरधारक, किसी कंपनी अथवा किसी निकाय कारपोरेट, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी ऐसा व्यक्ति, बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक

Notes:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **VOTING RIGHTS**

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, amended in 2013, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **Ten** per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Specified date, i.e. 17.08.2016 shall have one vote for each share held by him/her in respect of election of one shareholder Director. Cut-off date is fixed for 09.09.2016 for issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

3. **SPECIFIED DATE**

"Pursuant to Regulation 12 of the Regulations", 17.08.2016 is the Specified Date for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to **nominate, contest and vote** for the election of one Director representing the shareholders of the Bank other than the Central Government as mentioned in the notice.

4. **APPOINTMENT OF PROXY**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at the Head Office of the Bank at Manipal not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of Friday, the 09th September, 2016.

5. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any

संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय, मणिपाल में, असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 09 सितंबर, 2016 शुक्रवार को कार्य समय समाप्त होने तक जमा नहीं कर देता/कर देती।

6) उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह मतदान पत्र

शेयरधारक सदस्यों की सुविधा के लिए, उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर “प्रॉक्सी” अथवा “प्राधिकृत प्रतिनिधि” जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण के दायित्वों एवं प्रकटीकरण, विनियमन 2015 के विनियमन 44 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों को आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा (रिमोट-ई-वोटिंग) प्रदान करना अनिवार्य है।

बैंक के शेयरधारक, बैठक की सूचना में निहित इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्यवाहियों की सभी मदों का कार्यसंपादन कर सकते हैं।

कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कंपनी, को एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में संपन्न करेंगे

निर्दिष्ट तिथि

भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी की अधिमानी निर्गम के अनुमोदन हेतु ई-मतदान प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र शेयरधारकों के मताधिकार निर्धारण हेतु बैंक ने शुक्रवार, 09 सितंबर, 2016 को निर्दिष्ट तिथि के रूप में निर्धारित किया है। (एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के छोड़कर)

ई-मतदान के लिए अनुदेश

1. ई-मतदान के लिए निम्नांकित यूआरएल का प्रयोग करें:
कार्वी वेबसाइट से: <https://evoting.karvy.com>
2. विनिर्दिष्ट दिनांक पर, भौतिक रूप में या डिजिटल रूप में शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारक अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं।
3. लॉगिन क्रेडेन्शियल्स की प्रविष्टि करें [अर्थात् असाधारण आम बैठक की उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आई डी और पासवर्ड]। आपकी फोलियो सं./डीपी आईडी/ग्राहक आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी।
4. ब्यौरे को समुचित रूप से प्रविष्ट करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।
5. आपको पासवर्ड परिवर्तन मेनु दिखाई देगा जहाँ आपको अनिवार्य रूप से अपने पासवर्ड का परिवर्तन करना पड़ेगा। नया पासवर्ड न्यूनतम 8

body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of Friday, the 09th September, 2016.

6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the shareholders of the Bank, the facility to vote at the Extraordinary General Meeting by electronic means (remote e-voting).

Shareholders of the Bank can transact on the item of the business through remote e-voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN and Co., Company Secretaries, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

CUT-OFF DATE

The Bank has fixed Friday, the 09th September, 2016 as the Cut-off date for determining voting rights of shareholders entitled to participate in the e-voting process for approval of preferential issue of equity in favour of Government of India. (excluding election of one shareholder Director).

INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING

1. To use the following URL for e-voting:
From Karvy website: <https://evoting.karvy.com>
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the record date, may cast their vote electronically.
3. Enter the login credentials [i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip of the EGM]. Your Folio No/DP ID & Client ID will be your user ID.
4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The

कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक संख्यात्मक (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर होंगे। सिस्टम आपको प्रथम लॉगिन में अपने पासवर्ड को बदलने और मोबाइल, ई-मेल आदि संपर्क ब्यौरों को अद्यतन बनाने का सुझाव देगा। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो अपनी पसंद का गुप्त सवाल और जवाब की प्रविष्टि कर अपने पासवर्ड का पता लगा सकते हैं। अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न दें और उसे गोपनीय रखने में अत्यधिक सावधानी बरतें।

6. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करना पड़ेगा।

कार्यसूची मद सं. 1 के लिए

सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर सिस्टम आपको ईवेंट अर्थात् सिंडिकेटबैंक का चयन करने का सुझाव देगा।

- वोटिंग पेज में निर्दिष्ट तिथि (09 सितंबर, 2016) को शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या दर्शाएगा।
- कार्यसूची मद सं 1 के संबंध में आप 'FOR' (पक्ष) या AGAINST (विपक्ष) का चयन, जो भी हो, का चयन कर सकते हैं।
- विकल्पतः आप कुछ मत को 'पक्ष' में और कुछ को 'विपक्ष' में दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा कुल मत आपके द्वारा धारित कुल शेयरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप 'ABSTAIN' (परहेज़) विकल्प का भी चयन कर सकते हैं।
- उचित विकल्प का चयन कर अपना मतदान करने के लिए 'SUBMIT' बटन दबाने पर एक 'कन्फर्मेशन बॉक्स' प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए "ओ.के." पर क्लिक करें अन्यथा आशोधित करने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने पर आपको अपने मत को आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक, मतदान-अवधि के दौरान संकल्प पर मतदान करने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं।

कार्यसूची मद सं 2 के लिए

- कार्यसूची मद सं. 2 के संबंध शेयरधारक जिन्होंने निर्धारित तिथि अर्थात् 17 अगस्त, 2016 तक अपना शेयर धारित किया है, अपना मतदान ज्यादा से ज्यादा एक अभ्यर्थी के पक्ष में (कुल अभ्यर्थियों में से जिनका नाम स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा) दर्ज कर सकते हैं। एक से ज्यादा मत दर्ज करने पर उनका मत अवैध हो जाएगा।
- पुष्टि करने के लिए "ओ.के." पर क्लिक करें अन्यथा आशोधित करने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने पर आपको अपने मत को आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक मतदान-अवधि के दौरान संकल्प पर अपने मतदान होने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं।
- कई फोलियो/डिमैट खाता रखनेवाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डिमैट खाता के लिए अलग मतदान प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं।
- शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मतदान करने के बाद वह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता।
- मतदान के लिए दि.13.09.2016 के प्रातः 9 बजे से दि.15.09.2016 के अपराह्न 5 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा।
- किसी भी प्रकार की अन्य पूछताछ के लिए <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा बार-बार पूछे गए प्रश्न (एफ ए क्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ लें या दूरभाष सं.1800 345 4001 (शुल्क रहित) पर कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।

new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

6. You need to login again with the new credentials.

For Agenda Item No. 1

On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., Syndicate Bank.

- On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (09th September, 2016) will appear.
- In respect of Agenda item no.1, you may click on the FOR OR AGAINST, as the case may be.
- Alternately you may enter partially any number in FOR and partially in AGAINST but the total number in FOR/AGAINST taken together should not exceed the total shareholding. You may also choose the option ABSTAIN.
- Cast your vote by selecting an appropriate option and click on SUBMIT. A confirmation box will be displayed. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution

For Agenda Item No. 2

- In respect of Agenda Item No. 2, those holding shares as on the Specified Date i.e. 17th August, 2016, can cast their vote in favour of maximum ONE candidate, out of the contesting candidates whose names will appear on the screen. Casting vote exceeding ONE candidate shall render your vote as invalid.
- Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the Election.
- Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folio/demat account.
- Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 13.09.2016 to 5 p.m. on 15.09.2016.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd. at Tel No. 1800 345 4001 (toll free).

असाधारण आम बैठक के स्थान पर वोटिंग / पोलिंग

ई-मतदान के अलावा, वे व्यक्ति, जिन्होंने ई-मतदान के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, पोल के माध्यम से भी वोटिंग कर सकते हैं। इस संबंध में घोषणा के तुरंत पश्चात् चुनाव शुरू होगा, और वोट की संख्या, उनके द्वारा निर्धारित/निर्दिष्ट तारीख 17.08.2016/09.09.2016 की स्थिति में धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

इसके बाद वोटों की गिनती की जायेगी और बैठक के अध्यक्ष द्वारा ई-मतदान और बैठक के दौरान आयोजित पोलिंग के माध्यम से प्राप्त कुल वोट के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किए जायेंगे।

उपर्युक्त परिणामों को बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई एवं बीएसई को भी इसे सूचित किया जाएगा।

कार्यसूची मद सं 1 के लिए व्याख्यात्मक कथन

सेबी आईसीडीआर नियमावली के अध्याय VII के अनुसार अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटीकरण

ए) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य

पूँजी पर्याप्तता हेतु बासेल III की अपेक्षाओं के अनुपालन में हमेशा पूँजी वृद्धि की अत्यंत आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने अपने पत्र सं एफ.सं. 7/38/2014 बीओए दि. 19, जुलाई 2016 के द्वारा अपने पक्ष में अधिमानी इक्विटी आबंटन के माध्यम से ₹1,034 करोड़ (रुप एक हजार चौतीस करोड़ मात्र) की पूँजी निधि जुटाने का निर्णय लिया है।

बी) भारत सरकार ने इस बात का संकेत भी दिया है कि ₹1,034 करोड़ में से 75% अर्थात् ₹776.00 करोड़ को तत्काल आबंटन हेतु चिह्नित भी किया है। बाकी 25% रकम बैंक का दिसंबर 2016 के अंत तक निष्पादन के आधार पर या उसके पहले लगाया जाएगा। बैंक को यह सलह दी गई है कि एतदर्थ अपेक्षित कदम उठाए तथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें।

सी) इस प्रकार प्राप्त पूँजी को बैंक की पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने तथा बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

डी) निर्गम से पहले और बाद में शेयरधारण का संभावित ढाँचा :

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले (30.06.2016 को)		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की सं.	शेयर धारण का प्रतिशत	धारित शेयरों की सं.	शेयर धारण का प्रतिशत
ए	प्रवर्तक धारण (भारत सरकार)	55,35,22,796	69.32	65,95,62,697	72.92
बी	गैर-प्रवर्तक धारण	24,49,76,741	30.68	24,49,76,741	27.08
	कुल	79,84,99,537	100.00	90,45,39,438	100.00

ई) बैंक, सेबी आई सी डी आर नियमावली में बताए गए समय सीमा के अंदर यह निर्गम प्रक्रिया पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है।

एफ) चूंकि भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) प्रत्येक वर्ष बैंक के 5% से अधिक शेयरों का अधिग्रहण करेगा, भारत सरकार के बदले बैंक, सेबी (शेयरों का

VOTING/POLLING AT THE VENUE OF EGM

Apart from remote e-voting, the voting shall also be conducted for those who have not exercised their option of remote e-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Specified Date/ Cut-Off Date i.e. 17.08.2016/09.09.2016, as the case may be.

The counting of votes would be taken up thereafter and the results will be announced based on the aggregate of votes secured through remote e-voting and voting conducted at the meeting.

The aforesaid Results will also be hosted on Bank's website and shall also be informed to the Stock Exchanges i.e. NSE & BSE.

Explanatory Statement for Agenda Item No. 1

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations

a) Objects of the Preferential Issue

With a view to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, there is an ever-increasing need to raise capital. Government of India, vide their letter F.No.7/38/2014-BOA dated 19th July, 2016 has decided to allocate capital funds to the tune of ₹1,034.00 Crore (Rupees One thousand thirty four Crore only) by way of preferential allotment of equity in its favour.

b) Government of India has indicated that out of ₹1,034 Crore, 75% i.e. ₹776.00 Crore is marked for infusion immediately. Remaining 25% will be infused based on the Bank's performance by the end of December 2016 or earlier. Bank has been advised to take all necessary steps/approvals in this regard.

c) The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

d) Shareholding Pattern before the issue and likely the shareholding pattern after the Issue

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on 30.06.2016)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of share-holding	No. of shares held	Percentage of share-holding
A	Promoter's Holding (Government of India)	55,35,22,796	69.32	65,95,62,697	72.92
B	Non – Promoter Holding	24,49,76,741	30.68	24,49,76,741	27.08
	Total	79,84,99,537	100.00	90,45,39,438	100.00

e) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

f) As Government of India (President of India) would be acquiring more than 5% shares of the Bank in a financial

पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियामावली 2011 के विनियम 3(2) के तहत सेबी को आवेदन करेगा और सेबी से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही शेयरों का आबंटन किया जाएगा।

जी) चूँकि यह निर्गम भारत सरकार जो बैंक का प्रमुख शेयरधारक एवं प्रवर्तक है, को किया जाना है, इसके नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

एच) निर्गम से पहले और बाद (संभावित) में भारत सरकार की शेयर धारिता निम्न प्रकार होगी :

	शेयरों की संख्या	पूँजी में प्रतिशतता
निर्गम से पहले	55,35,22,796	69.32
निर्गम के बाद	65,95,62,697	72.92

आई) बैंक के इक्विटी शेयर छः महीने से ज्यादा समय से सूचीबद्ध हैं, तदनुसार इन पर सेबी आई सी डी आर विनियामावली के प्रावधान 76(3) और 78(5) लागू नहीं होंगे।

जे) निर्गम मूल्य को यथा आशोधित सेबी (आईसीडीआर) के अध्याय VII में दिए गए अधिमानी निर्गम के लिए अब तक यथा संशोधित विनियम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

के) भारत सरकार को निर्गत शेयर व्यापारिक (ट्रेडिंग) अनुमोदन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक लॉक-इन अवस्था में रहेंगे।

एल) वैधानिक लेखापरीक्षक(कों) द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र जारी किया गया है कि इस नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसार बनाए जा रहे निर्गम को असाधारण आम बैठक में रखा जाएगा।

एम) भारत सरकार के संपूर्ण पूर्व-अधिमानी शेयर निर्दिष्ट तिथि से छह महीने तक की अवधि के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विशेष संकल्प के तहत जारी शेयरों के लिए दी जाने वाली व्यापारिक अनुमोदन तिथि से लॉकड रखा जाएगा।

एन) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर कागजीकृत रूप में हैं तथा सूचीबद्ध करार में बताए अनुरूप बैंक इक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्तों का अनुपालन उस शेयर बाज़ार के नियमों के अनुसार करता रहेगा, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

ओ) भारत सरकार ने निर्दिष्ट तिथि से छः महीने पहले तक बैंक की कोई इक्विटी शेयर नहीं बेची है।

पी) सेबी (सूचीकरण के दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 एवं सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 72 की शर्तों के अनुसार, बैंक के सभी शेयरधारकों को शेयर ऑफर करने एवं अधिमानीयता के आधार पर शेयर आबंटन करने हेतु विशेष संकल्प के जरिए बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

क्यू) जहाँ कहीं भी अपेक्षित है, सेबी आई सी डी आर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार बैंक, इक्विटी शेयर का मूल्य पुनः परिकलित करेगा।

आर) बैंक यह घोषणा करता है कि यदि पुनः परिकलित मूल्य का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित अवधि के भीतर अदा नहीं किया जाता है तो, निर्धारित प्रतिभूति तब तक लॉक-इन अवस्था में रहेगी जब तक कि आबंटिती द्वारा उस रकम की अदायगी नहीं की जाती।

एस) आपके निदेशक विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करते हैं।

year, the Bank would be making an application on behalf of Government of India to SEBI under Regulation 3 (2) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011 and allotment would be made only after receipt of approval from SEBI.

g) As the issue is to be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

h) The Pre and Post issue (likely) shareholding of Government of India would be as under.

	Number of Shares	Percentage to Capital (%)
Pre-issue	55,35,22,796	69.32
Post-issue	65,95,62,697	72.92

i) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

j) The Issue Price has been determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended till date.

k) The shares issued and allotted to Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.

l) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

m) The entire pre-preferential holding of Central Government will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval granted by Stock Exchanges to the shares issued pursuant to the Special Resolution.

n) All the shares held by Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

o) Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.

p) In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis vis-à-vis offering shares to all the shareholders of the Bank.

q) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.

r) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

s) Your Directors recommend passing of the Special Resolution.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

बैंक के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई संबंध नहीं है और न ही इस संकल्प में उनका कोई हित है।

कार्यसूची मद संख्या 2 का व्याख्यात्मक कथन

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

• निदेशकों के चुनाव के लिए शेयरधारकों के अधिकार

25 जून, 2013 को संपन्न वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान आयोजित चुनाव में श्री अतुल ए गलान्डे को तीन वर्षों की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित किया गया। उन्होंने दि. 26.06.2013 को पदभार ग्रहण किया। उनकी कार्य अवधि 25.06.2016 को समाप्त हुई।

अबतक बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता 30.68% है अतः केन्द्रीय सरकार के निदेशकों के अलावा शेयरधारकों द्वारा दो निदेशकों का चयन किया जाना है। दिनांक 30.10.2015 को संपन्न असाधारण आम बैठक के दौरान आयोजित चुनाव में श्री कमल किशोर सिंघल को शेयरधारक निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए चयनित किया गया। उन्होंने 30.10.2015 को पदभार ग्रहण किया।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा वर्तमान रिक्ति को भरने के उद्देश्य से बैंक ने केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से एक निदेशक का चयन करने हेतु चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है। अतएव, शेयरधारक (केन्द्र सरकार से भिन्न) विभिन्न तथा संगत अधिनियमों, विनियमन अधिनियम, योजना, विनियमावली और भा.रि.बैं. की अधिसूचना तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों में दी गयी प्रक्रियाओं के अनुसार अपना नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं। उसका संगत भाग निम्नवत् है:

इस प्रकार से चयनित निदेशक उसके चयन की परवर्ती दिनांक से अपना कार्यभार संभालेंगे और इस तिथि से तीन वर्षों की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

विधिक प्रावधान

इस संबंध में लागू होनेवाले विभिन्न अधिनियमों/योजना/विनियमावली/ अधिसूचनाओं में शामिल उपबंधों के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

अधिनियम/ योजना/ विनियमावली अधिसूचनाएँ	उपबंध	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1) धारा 20	- सामान्य निदेशक पर निषेध - अपने किसी निदेशक को या उनकी ओर से, ऋण या अग्रिम मंजूर करने पर प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3)(i) धारा 9(3 ए) (ए) से (सी) तक धारा 9 (3 एए) धारा 9 (3 ए बी) धारा 9 (3 बी) धारा 13 (2)	- वोटिंग अधिकार पर प्रतिबंध - शेयरधारकों द्वारा चयन किए जानेवाले निदेशकों की संख्या - कुछ क्षेत्रों में विशेष जानकारी - कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह ट्रैक रिकार्ड के आधार पर निष्ठा और भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट अन्य मानदण्डों के अनुसार उचित और उपयुक्त न हो। - उस चयनित निदेशक को हटाने के लिए भा.रि.बैं. को प्राप्त अधिकार, जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3 ए) और 9 (3 एए) की अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो - निष्ठा और गोपनीयता का अनुपालन

Explanatory Statement to Agenda Item No. 2

ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

• RIGHT OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

At the Annual General Meeting (AGM) held on 25th June, 2013, Shri Atul A Galande was elected as Shareholder Director for a period of 3 years. He assumed office on 26.06.2013. His term ended on 25.06.2016.

Public Shareholding in the Bank as on date is 30.68% and hence number of directors to be elected by shareholders other than Central Government is two. Shri Kamal Kishore Singhal was elected as shareholder Director in the Extraordinary General Meeting held on 30.10.2015 for a period of 3 years. He assumed office on 31.10.2015.

In view of the aforesaid and with a view to filling in the existing vacancy, Bank has decided to conduct election to elect one Director from amongst Shareholders other than the Central Government. The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedures detailed in various and relevant Act, Regulation Act, the Scheme, the Regulations, the RBI Notification and the GOI guidelines, the relevant portions of which are indicated hereunder.

A Director so elected shall assume office from the date following that on which he/she is deemed to be elected, and hold office until the completion of a period of three years from the date of assumption of office of Director.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme/ Regulations/ Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20	- Prohibition of Common Director - Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	- Restriction on voting rights - No. of directors to be elected by the shareholders - Special knowledge in certain fields - No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. - Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. - Obligation as to fidelity and secrecy

अधिनियम/ योजना/ विनियमावली अधिसूचनाएँ	उपबंध	संक्षिप्त विवरण
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970/1980	खण्ड 4 ए खण्ड 9 (4) खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11 ए खण्ड 11 बी खण्ड 12 (8)	- अतिरिक्त चयनित निदेशक को निर्धारित करने का ढंग - चयनित निदेशकों की पदावधि - बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अनर्हता मानदण्ड - निदेशक के पद को रिक्त करना - चयनित निदेशक को पद से हटाना - चयनित निदेशक के पद को भरना - कुछ व्यवस्थाओं में निदेशकों के हितों का प्रकटीकरण जिन पर वे हितबद्ध हैं।
सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	- संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग - आम बैठक में वोटिंग - आम बैठक में चयनित किए जानेवाले निदेशकगण - शेयरधारकों की सूची - चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन - नामांकनों का मूल्यांकन - चुनाव संबंधी विवाद - मतदान अधिकारों का निर्धारण - सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान - प्रॉक्सी
भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबी ओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/ 29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 और सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/ 2010-11 दि. 23.05.2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3 ए ए) और धारा 9 (3ए बी) के अनुसार	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चयनित निदेशकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदण्ड
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा जारी संदर्भ एफ. सं. 16/83/2013 -बीओ. I दिनांक 03 सितंबर 2013 के पत्र तथा 25 मार्च 2015 एवं 8 जुलाई 2016 को जारी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के पद हेतु विचारार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा तय मानदण्ड (भारत सरकार के दिशानिदेश)		सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के पद हेतु विचारार्थ केन्द्र सरकार द्वारा तय मानदण्ड
भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई 2015		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान किया जाना

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980	Clause 4 A Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	- Manner of determination of excess elected director - Term of office of elected directors - Disqualifications from being elected as a Director of the Bank - Vacation of office of Director - Removal from office of an elected Director - Filling of vacancy in the office of an elected Director - Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	- Exercise of rights of joint holders - Voting at General Meetings - Directors to be elected at General Meetings - List of Shareholders - Nomination of candidates for election - Scrutiny of nominations - Election disputes - Determination of voting rights - Voting by duly authorized representative - Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC. No. 46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non-official director in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 and on July, 08 2016 (GOI guidelines)		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non-official director in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors

संगत अधिनियमों/योजना/विनियमावलियों/अधिसूचनाओं/इत्यादि का उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा हेतु विनियमन अधिनियम, अधिनियम, योजना तथा भा.रि.बैं. की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 तथा सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23.05.2011 तथा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड इस सूचना में अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। इसे बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर अपलोड किया गया है। उक्त उद्धरण को इच्छुक अभ्यर्थियों को भी ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा बशर्ते, वे नामांकन फार्म के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख यानी 01.09.2016 से पहले सिंडिकेटबैंक, महा प्रबंधक (निरीक्षण विभाग) प्रधान कार्यालय, मणिपाल को अनुरोध पत्र प्रस्तुत करें।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अपेक्षित अर्हताएँ

- (I) अधिनियम की धारा 9(3ए) की शर्तों के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और बैंक का निदेशक बनने की इच्छा रखता है,
- ए) उसे निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो:
- i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - ii) बैंकिंग
 - iii) सहकारिता
 - iv) अर्थशास्त्र
 - v) वित्त
 - vi) विधि
 - vii) लघु उद्योग
 - viii) किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।
- बी) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा
- सी) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो।
- (II) उक्त अधिनियम की धारा 9 (3 ए ए) की शर्तों के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी जो बैंक का शेयरधारक है और वह बैंक का निदेशक बनना चाहता है तो उससे अपेक्षा है कि वह भा.रि.बैं. द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए जानेवाले निदेशों/अधिसूचनाओं/के अनुसार 'उचित और उपयुक्त' हो।
- (III) आगे, चयनित निदेशक को चाहिए कि वे प्रसंविदा विलेख का निष्पादन करें और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्दिष्ट वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करें।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अनर्हता

- ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के खंड 10 के अनुसार, निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने और निदेशक बनने के लिए अयोग्य हैं :
- ए. यदि उसे कभी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया है अथवा अपने ऋणदाताओं से समझौता किया है, अथवा

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATIONS ETC.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and criteria laid down by Government of India for consideration as Non-Official Director in Public Sector Banks are enclosed as **Annexure to this notice**. The same is being hosted in the Bank's website www.syndicatebank.in Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Syndicate Bank, General Manager, (Inspection Department), Head Office, Manipal, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz., 01.09.2016.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- (I) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall –
- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely:
- i. agriculture and rural economy,
 - ii. Banking,
 - iii. Co-operation,
 - iv. economics,
 - v. finance,
 - vi. law,
 - vii. small scale industry,
 - viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.
- (B) represents the interest of depositors; or
- (C) represents the interest of farmers, workers and artisans.
- (II) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status pursuant to Reserve Bank of India's directives/notification from time to time in this regard.
- (III) Further, the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
- a. if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

बी. यदि उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया है और सक्षम न्यायालय ने उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में घोषित किया है; अथवा

सी. यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने ऐसे अपराध के लिए अपराधिक सजा सुनाई है जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो अथवा

डी. यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायक बैंक में लाभ के पद पर है किन्तु वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 में (ई) व (एफ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के पदों को छोड़कर, ग्रहण कर सकता है।

और

बी. भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी सं. बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23 मई 2011 के साथ पठित डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 की शर्तों के अनुसार और भारत सरकार द्वारा जारी गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के मानदण्ड के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यदि वे बैंक निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा 'उचित और उपयुक्त' व्यक्ति नहीं पाए जाते हों।

प्रतियोगी शेयरधारकों की सूची

विनियम 64 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार, शेयरधारकों को चुनाव लड़ने में मदद करने की दृष्टि से, विनिर्दिष्ट तारीख यानी दि. 27.05.2016 की स्थिति में शेयरधारकों की पूरी सूची, महा प्रबंधक, निरीक्षण विभाग, सिंडिकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल में दि. 25.08.2016 से खरीदी हेतु उपलब्ध होगी। इसकी कीमत हार्ड प्रति के लिए ₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) है जिसे किसी अनुसूचित बैंक से सिंडिकेट बैंक पर आहरित बेंगलूरु में देय मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। इस रकम को सिंडिकेट बैंक की गांधीनगर, बेंगलूरु शाखा में उपलब्ध सिंडिकेट बैंक, कार्पोरेट कार्यालय की चालू खाता सं. 04001140000034 (आईएफएससी कोड SYNB0000400) में नेफ्ट के द्वारा भी जमा की जा सकती है। इस मामले में, भुगतान की पुष्टि करते हुए यूटीआर संख्या सहित आवेदन उपर्युक्त पते पर भेजी जा सकती है। साफ्ट कॉपी ₹10,000/-में उपलब्ध है।

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्यदिवसों (रविवार और बैंक अवकाश के दिनों को छोड़कर) यानी सोमवार से शनिवार तक अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक (द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को छोड़कर) निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट आउट की जरूरत है तो उसे प्रति 1000 शब्दों या उसके भाग के लिए ₹5/- की दर से पूर्व-भुगतान करने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

चुनाव में सहभागिता

ऐसे शेयरधारक, जिनके नामों का उल्लेख 17.08.2016 की स्थिति में एन.एस.डी. एल./सी.डी.एस.एल./एस.टी.ए. द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/हिताधिकारी रजिस्टर में शामिल हो, वे चुनाव में सहभागिता करने यानी अभ्यर्थियों को **नामित करने, चुनाव में लड़ने** तथा केन्द्र सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में वोट डालने के लिए पात्र हैं।

- b. if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c. if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude or
- d. if he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

And

B. In terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD No. BC. No. 46& 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011, and GOI Guidelines with regard to criteria for appointment of Non official Directors issued by GOI, he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

To enable the Shareholders to contest the election, a complete List of Shareholders as indicated in Regulation 64 of the Regulations, as of the Specified Date i.e., 27.05.2016 will be available for purchase at Head Office of the Bank with General Manager, Inspection Department, Syndicate Bank, Head Office, Post Box No.1, Manipal – 576 104, from 25.08.2016 onwards for purchase by shareholders on a pre-payment of ₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) by way of demand draft/pay order of a Scheduled Bank, in favour of 'SyndicateBank' payable at Bengaluru. Amount can also remitted through NEFT to SyndicateBank-Corporate Office, Current Account Number 04001140000034 (IFSC Code SYNB0000400) with Gandhinagar Branch, Bengaluru. In that case, request letter alongwith UTR Number confirming payment may be forwarded to the above address for obtaining list of shareholders. Soft copy is available for ₹10,000/-.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders is also open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays & Bank holidays) i.e., Monday to Saturday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. (except 2nd and 4th Saturdays). If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL/STA as on 17.08.2016, shall be entitled to participate i.e., **Nominate, Contest and Vote** in election of Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

विनियमावली की विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जिसका नाम दि. 17.08.2016 को, यानी आम बैठक की तारीख से पहले निर्दिष्ट तारीख को, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, वह अपना हाथ उठाकर अपना एक वोट डाल सकता है और मतदान के मामले में उसके पास प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

नामांकन की वैधता

विनियमावली के विनियम 65 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दि. 1.11.2007 के साथ पठित डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दि. 23 मई 2011 तथा इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड एवं लागू विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी प्रत्याशी का नामांकन तभी वैध होगा जब:

- ए) वह चुनाव में भाग लेने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख, यानी 17.08.2016 को कम से कम 100 (एक सौ) शेयर रखनेवाला शेयरधारक हो और दि. 16.09.2016 तक या उसके बाद भी चुने जाने की स्थिति में, अपनी पदावधि की समाप्ति तक न्यूनतम 100 शेयर रखता हो।
- बी) उसे, दि. 01.09.2016 (नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख) की स्थिति में, अधिनियम/विनियमन अधिनियम/योजना/विनियमावली/भा.रि.बैं. की अधिसूचनाओं/भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो।
- सी) वह किसी एक विषय में विशेषतः व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन एवं आईटी विषय में विशेषज्ञता सहित कम से कम स्नातक हो।
- डी) प्रतियोगी की उम्र 67 वर्ष से अधिक न हो।
- ई) प्रतियोगी की अपने विशेष कार्यक्षेत्र में सामान्यतः रूप से 20 वर्ष का अनुभव हो।
- एफ) वह किसी बैंक/वित्तीय संस्थान (एफआई)/भारिबैं/बीमा कंपनी के किसी भी श्रेणी में पहले से निदेशक न हो।
- जी) वह किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/भारिबैं./बीमा कंपनी में किसी भी वर्ग के अंतर्गत 6 वर्ष के लिए लगातार या आवधिक रूप में निदेशक के पद पर नहीं रहा हो।
- एच) नामांकन हेतु, उसी सनदी लेखाकार फर्म के कोई भी भागीदार जो वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप जुड़े हों, पात्र नहीं होंगे।
- आई) नामांकन हेतु, उसी सनदी लेखाकार फर्म के कोई भी भागीदार जो वर्तमान समय में किसी राष्ट्रीय बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में जुड़े हों, पात्र नहीं होंगे।
- जे) नामांकन, इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखनेवाले कम-से-कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत् संगठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित रूप में हो, बशर्ते, कोई शेयरधारक, जो एक कम्पनी हो, कथित कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन कर सकता है और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प को पारित किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में प्रमाणित कर महा प्रबंधक (निरिक्षण विभाग), सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल - 576 104 को प्रेषित किया जाए और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on 17.08.2016, the Specified Date, prior to the date of a general meeting, shall have one vote for each share held by him / her.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011, Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non-official director in Public Sector Banks and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- (a) he/she is a shareholder holding not less than 100 (One Hundred) shares in the Bank as on 17.08.2016 being the Specified date for participating in the election; and continues to hold a minimum of 100 shares till 16.09.2016 and thereafter till the end of his tenure if he is elected;
- (b) as on 01.09.2016 (the last date for receipt of nominations) he/she is not disqualified to be a Director under the Act/Regulation Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications/GOI Guidelines;
- (c) he/she should atleast be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT;
- (d) The age of the contestant should not be more than 67 years;
- (e) The Contestant should ordinarily have 20 years of work experience, in their particular field.
- (f) He/She should not be already a Director on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category.
- (g) He/She should not have served as a Director on the Board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently, under any category.
- (h) No partner of the same Chartered Accountant firm, which is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor shall be eligible for nomination.
- (i) No partner of the same Chartered Accountant firm, which is currently engaged in a Nationalised Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor is eligible for nomination.
- (j) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager (Inspection Department), Head Office, Post Box No.1, Manipal-576 104 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

के) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन के साथ इस नोटिस में प्रस्तुत नामांकन एवं घोषणा पत्र के नमूना फार्म के अनुसार, किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन का रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत् हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है और यह कि उसे बैंककारी विनियमन अधिनियम या अधिनियम या योजना या विनियमन के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

एल) नामांकन फार्म तथा घोषणापत्र, उक्त विनियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट और संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हो। (प्रोफार्मा हमारे बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर भी उपलब्ध है)।

नामांकन फार्म का प्रस्तुतीकरण

केन्द्र सरकार को छोड़कर, अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों द्वारा निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किया जाए:

ए) विधिवत् भरे गए घोषणा-पत्र

बी) चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन (नामांकन फार्म में)

सी) वैयक्तिक सूचना, घोषणा-पत्र और वचन-पत्र के साथ साथ संगत दस्तावेज, शंसापत्र यानी, बायो-डाटा, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आदि संबंधी प्रमाण-पत्र को इस सूचना के साथ संलग्न फार्मेट में, संगत दस्तावेजों के साथ, एक मुहरबंद लिफाफे में डालकर स्पष्ट अक्षरों में 'शेयरधारक निदेशक के चुनाव से संबंधित फार्म' लिखकर उसे महा प्रबंधक, निरीक्षण विभाग, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल-576 104 को असाधारण आम बैठक के लिए निर्धारित तारीख से चौदह दिन पहले किसी भी कार्य दिवस को यानी दि.01.09.2016 को या उससे पहले बैंक के कार्य समय यानी सायं 5.00 बजे से पहले प्रस्तुत किया जाए अन्यथा नामांकन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

नामांकन की जांच

ए. नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के आगामी प्रथम कार्य दिवस यानी दि. 02.09.2016 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन मान्य नहीं है तो, इसके लिए कारणों को अभिलेखित करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

बी. भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की 'उचित और उपयुक्त स्थिति' का निर्धारण करने के लिए नामांकन पत्र की छानबीन की जाएगी।

सी. यदि चुनाव हेतु भरी जानेवाली एक रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता है तो इस प्रकार से नामित अभ्यर्थी को उसी समय निर्वाचित माना जाएगा और उसके नाम और पते को निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, एक शेयरधारक निदेशक के चयन से संबंधित कार्यसूची मद को असाधारण आम बैठक में नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार चयनित उम्मीदवार चुनाव के परवर्ती तिथि से अपना पदभार ग्रहण करेगा।

(k) the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a Declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a Director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations.

(l) the nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.syndicatebank.in).

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- Duly filled in Declaration Form;
- Nominations from minimum of hundred shareholders (in the Nomination form) entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc. in the formats annexed to the Notice and supporting documents in a sealed envelope superscribing "Forms with regard to election of shareholder director" to the General Manager – Inspection Department, Head Office, Post Box No. 1, Manipal – 576 104, together with connected documents, complete in all respects, on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., 5.00 p.m. on 01.09.2016 failing which, the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS

- Nominations shall be scrutinized by the Bank on 02.09.2016, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason(s) therefor.
- Nominations shall also be subjected to scrutiny to determine their 'Fit & Proper Status' by the Nomination Committee of the Board in terms of Reserve Bank of India Notification and GOI Guidelines.
- If there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled-in by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. **In such an event the agenda item pertaining to election of Shareholder Director will not be taken up in the Extraordinary General Meeting.** The candidate so elected shall assume office from the date following that on which he/she is deemed to be elected.

डी. जितनी संख्या में निदेशकों को चुना जाना है, यदि उससे अधिक वैध नामांकन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों के नाम अखबारों में प्रकाशित करवाए जाएंगे तथा मतदान में बहुमत प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा और उनके नाम की घोषणा अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाएगी एवं इसे अखबारों में प्रकाशित भी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी दिनांक 17 सितंबर 2016 को कार्यभार ग्रहण करेंगे।

इ. यदि कोई विवाद हो तो, विनियमावली के विनियम 67 के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा।

दि. 16.09.2016 को मतदान की प्रक्रिया

निदेशक के चुनाव को हाथ उठाकर वोट डालने की पद्धति के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रथम कार्यसूची मद के अनुसार चुनाव द्वारा किया जाएगा।

बैठक के अध्यक्ष द्वारा घोषणा करने के तुरंत बाद मतदान प्रारंभ किया जाएगा और दोपहर 12.00 बजे तक जारी रहेगा। वोटों की संख्या, उनके द्वारा दि. 17.08.2016 (निर्धारित तारीख) को धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

रिमोट ई-वोटिंग और मतपत्रों द्वारा बैठक में किये गये मतदान को संकलित किया जायेगा और, जाँचकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर वोटों की गिनती शुरू होगी और बैठक के अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी।

संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का आयोजन बैंक द्वारा नियुक्त मुख्य रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो एक स्वतंत्र परामर्शदाता है जिनकी नियुक्ति बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु की गयी है और भारत सरकार के नामित द्वारा चुनाव प्रक्रिया की देखरेख की जाएगी, जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे। (जो समीक्षक के रूप में कार्य करेंगे)

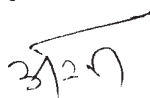
नामांकन वापस लेना

यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस लेना चाहता/चाहती है तो, वह दि. 09.09.2016 तक किसी भी समय बैंक कारोबार समय की समाप्ति से पहले, शाम 5.00 बजे से पहले अपना नामांकन वापस ले सकता/सकती है।

निदेशकों की हितबद्धता

यदि बैंक के निदेशक चुनाव लड़ते हैं तो यह माना जाएगा कि वे उक्त क्रियाकलाप से संबद्ध हैं अथवा उनमें उनकी रुचि है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते सिंडिकेट बैंक



(अरुण श्रीवास्तव)

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 17.08.2016

d. If valid nomination is more than the one (Director to be elected), names of the candidates shall be published in the newspapers and candidate polling the majority of the votes shall be elected and his/her name will be announced by the Managing Director and Chief Executive Officer and also published in newspapers. He/She will assume office on 17th September 2016.

e. If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

POLL PROCESS on 16.09.2016

The Voting for election of directors will not be on the basis of show of hands but shall be done by Voting, which will taken up along with the first agenda item.

The voting will commence immediately after the Chairman of the meeting in this regard makes an announcement and continue upto 12.00 noon. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 17.08.2016 (Specified Date).

The votes polled through remote e-voting along with votes polled at the Meeting shall be consolidated and based on the report of the Scrutiniser, counting of votes would be taken up thereafter and result would be announced by the Chairman of the meeting.

The entire process of Election would be conducted by the Chief Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer (who will act as Scrutinizers).

WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on or before 5.00 p.m. on 09.09.2016.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the Election.

By order of the Board of Directors
For SYNDICATE BANK



(Arun Shrivastava)

Managing Director and
Chief Executive Officer

Place : Bengaluru
Date : 17.08.2016

घोषणा पत्र
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)
(विनियमावली के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं, श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नीश्री/श्रीमती.....

निवासी एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि:

- ए) मैं सिंडिकेटबैंक का शेयरधारक हूँ और 17.08.2016 को यानी चुनाव में सहभागिता करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को मेरे पास डी ₹10/- के ईक्विटी शेयर हैं और यदि चयनित होता हूँ तो, मेरी अवधि की समाप्ति तक मैं न्यूनतम 100 ईक्विटी शेयर रखूँगा; और
- बी) *मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, या..... (विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिमत के अनुसार बैंक के लिए उपयोगी हो) में विशेष जानकारी है और उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 ए की शर्तों के अनुसार मैं जमाकर्ताओं, किसानों, कामगारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ और इसके सदस्यस्वरूप, मैं इसके साथ संगत प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहा /रही हूँ; और
- सी) मैं संख्यावाले नामांकनों को स्वीकार करता/करती हूँ; और
- डी) मैं सिंडिकेटबैंक के निदेशक के चुनाव में सहभागिता करना चाहता/चाहती हूँ; और
- इ) मुझे, अधिनियम, योजना, विनियमावली, भा.रि.बैं. की अधिसूचना, के अंतर्गत बैंक के निदेशक बनने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है; और
- एफ) मैं न तो किसी लाभकारी पद पर हूँ न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ; और
- जी) इस घोषणा के बाद घटनेवाली उन सभी घटनाओं की पूरी सूचना बैंक को देने का वचन देता/देती हूँ जो प्रदान की गयी सूचनाओं से संबद्ध हो और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चयन होने के बाद मैं प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ; और
- एच) मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं किया गया है; और
- आई) मैं न किसी किराये पर खरीदने, वित्तीयन, निवेश, पट्टा तथा अन्य पारा बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़ा हूँ और न ही कोई सांसद/एमएलए/एमएलसी/स्टॉक ब्रोकर हूँ;
- जे) मैं किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था या भा. रि. बैं. या बीमा कंपनी का निदेशक नहीं हूँ; और
- के) मैं पूर्व में किसी बैंक के बोर्ड, अथवा वित्तीय संस्था अथवा भा. रि. बैं. या बीमा कंपनी के किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो वर्षों के लिए या 6 वर्षों के लिए, जो भी अधिक हो, के निदेशक पद पर नहीं रहा हूँ;
- एल) न मैं स्वयं और न ही मेरे फर्म का कोई भागीदार वर्तमान में सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक (पीएसबी) से जुड़े हुए है।
- एम) न मैं स्वयं और न ही मेरे फर्म का कोई भागीदार वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में जुड़े हुए है।
- एन) मैं सेबी (सूचीकरण दायित्वों एवं प्रकटन अपेक्षाओं) के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हूँ; और
- ओ) मैं अपना वैयक्तिक विवरण, प्रमाण-पत्रों और सहायक दस्तावेजों तथा नामांकन फॉर्म संलग्न कर रहा/रही हूँ जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	
डी.पी.आई.डी. सं. तथा ग्राहक आई.डी. सं. (यदि बेकागजीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्वोरेन्स का रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या सिंडिकेटबैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर।

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गए।

मोहर सहित हस्ताक्षर
नाम
दिनांक

*जो लागू है उस पर निशान लगाएँ

**DECLARATION
(By The Candidate)**

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____, a resident of _____ hereby confirm that:

- a) I am a shareholder holding _____ equity shares of ₹10/- each of the Bank as on 17.08.2016 i.e., the Specified date for participating in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected; and
- b) *I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials and supporting documents; and
- c) I accept the nominations numbering _____; and
- d) I am willing to contest for the election of Directors of Syndicate Bank; and
- e) I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations, RBI Notification and GOI guidelines; and
- f) I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; and
- g) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- h) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and
- i) I am not connected with any hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP/MLA/MLC/Stock broker;
- j) I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company; and
- k) I have not been a Director on the Board of any Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years, whichever is longer;
- l) Neither myself nor any partner of my firm is currently engaged in any Public Sector Bank(PSB) as a Statutory Central Auditor;
- m) Neither myself nor any partner of my firm is currently engaged in a Nationalised Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor;
- n) I am not disqualified from being appointed as a Director pursuant to SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- o) I enclose my personal details, testimonials and supporting documents and nomination forms which are to the best of my knowledge and belief true and complete

Name	
Signature	
No of Shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialised)	
Place	
Date	

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or Syndicate Bank or any nationalised bank.

The above declaration was signed before me.

Signature with Seal
Name
Date

* Tick whichever is applicable

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन

बैंक का नाम: सिंडिकेट बैंक

यहाँ पासपोर्ट साइज
फोटो चिपकाएँ

**अभ्यर्थी द्वारा घोषणा और वचन
(दि. 17-08-2016 की स्थिति के अनुसार विनियोजित अनुबंधों के साथ)**

I	अभ्यर्थी के वैयक्तिक ब्यौरे	
	ए) पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) पिता का पूरा नाम	
	बी) जन्म तिथि	
	सी) शैक्षिक योग्यता (शैक्षिक/अकादमिक) (जानकारी से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
	(शैक्षिक/व्यावसायिक) (जानकारी से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
	डी) संगत पृष्ठभूमि और अनुभव बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें।) (बैंक में निदेशक पद से संबंधित अनुभवों का उल्लेख करें।) जानकारी से संबंधित दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।	
	ई) स्थायी पता	
	एफ) वर्तमान पता	
	जी) ई-मेल पता दूरभाष सं. (लैंड लाइन) दूरभाष सं. (मोबाइल)	
	एच) 1) आय कर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें) 2) आय कर सर्किल/मंडल का नाम और पता जहाँ व्यक्तिगत रिटर्न भरा जाता हो। (पिछले तीन वर्ष की आईटीओ रिटर्न की प्रति संलग्न की जाए)	
	आई) संगत पृष्ठभूमि और अनुभव-बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें।	
	जे) बैंक के निदेशकत्व से संबद्ध अन्य कोई सूचना	
II	अभ्यर्थी के साथ संबंध	
	ए) उन रिश्तेदारों, यदि कोई हो, की सूची जो बैंक के साथ संबंध रखते हैं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें)	

Personal Information, Declaration and Undertaking**Name of the Bank: Syndicate Bank**

**Affix passport
size photo here**

**Declaration & Undertaking by the Candidate
(With enclosures as appropriate as on 17.08.2016)**

I		Personal details of Candidate	
	a	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)	
	b	Date of Birth	
	c	Educational Qualifications	
		(Educational/ academic) (Please attach self-attested copies of the certificates supporting the information).	
		(Educational/ professional) (Please attach self-attested copies of the certificates supporting the information).	
	d	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertakings) Act, 1970. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank). Please attach copies of the documents supporting the information	
	e	Permanent Address	
	f	Present Address	
	g	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
	h	(1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) (2) Name and Address of the Income Tax Circle/ Division where personal tax returns are being filed. (Copies of last 3 years ITO return be enclosed)	
	i	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970	
	j	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II		Relevant Relationships of Candidate	
	a	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013)	

	बी)	उन संस्थाओं, यदि कोई हो, की सूची जिनमें वे हितबद्ध हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 और धारा 2(49) का संदर्भ लें)	
	सी)	उन संस्थाओं की सूची जिनमें वे बैंकिंग विनियमावली अधिनियम 1949 की धारा 5 (एन.ई) के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित रखते/ रखती हो, वर्तमान और प्रस्तावित।	
	डी)	उस बैंक का नाम जिसमें वे बोर्ड के सदस्य हो या रहे हों (पदावधि के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं)।	
	ई)	बैंक से उनके द्वारा और/या उपर्युक्त II (बी) और (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा वर्तमान में धारित निधिक और गैर-निधिक सुविधाएँ, यदि कोई हो।	
	एफ)	यदि कोई मामलें हो, या उपर्युक्त II (बी) और (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने बैंक से या अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की है या चूक कर रहे हैं।	
III व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख			
	ए)	व्यावसायिक उपलब्धियाँ (जानकारी से संबंधित दस्तावेज संलग्न की जाए)	
IV अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कुछ हो:			
	ए)	यदि अभ्यर्थी किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है तो अनुशासनिक कार्रवाइयों का विवरण, यदि कुछ हो, उनके विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में इसमें प्रभावित कार्रवाई, अथवा उन्हें क्या किसी व्यावसायिक/पेशे में आने के लिए कभी निषिद्ध/निषेधित किया गया है?	
	बी)	अभियोजन का विवरण, यदि कुछ हो, अभ्यर्थी और/या उक्त मद सं. II (बी) एवं (सी) में उद्धृत किसी सदस्यों के विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में इससे प्रभावित किसी प्रकार की कार्रवाई जिससे आर्थिक नियमों तथा विनियमों की अवहेलना हो।	
	सी)	अभ्यर्थी के विरुद्ध, यदि कोई लंबित या चल रही अथवा अतीत में इससे प्रभावित किसी प्रकार का अभियोजन हो, तो विवरण दें।	
	डी)	क्या अभ्यर्थी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत किसी प्रकार की परिकल्पित अयोग्यता दर्शायी है?	
	ई)	क्या अभ्यर्थी या उक्त मद सं. II (बी) तथा (सी) में सूचित कोई सदस्य, किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के मामले में किसी प्रकार की पड़ताल से संबद्ध हैं ?	
	एफ)	क्या अभ्यर्थी ने पहले कभी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों संबंधी नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं का उल्लंघन किया है, यदि हाँ तो विवरण दें।	

	b	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 and Section 2(49) of the Companies Act, 2013)	
	c	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
	d	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
	e	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	
	f	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III		Records of professional achievements	
	a	Professional achievements relevant (Copies of supporting documents be enclosed)	
IV		Proceedings, if any, against the Candidate	
	a	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations.	
	c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate.	
	d	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act 2013?	
	e	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities, if so give particulars.	

जी)	क्या अभ्यर्थी को पहले कभी सेबी, आई.आर.डी.ए., डी.सी.ए. भा.रि.बै., फेमा, एम.सी.ए., सिबिल जैसे नियंत्रण तंत्र से प्रतिकूल नोटिस मिली है? (हालांकि किसी भी प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि, इस कॉलम में वैसे आदेशों तथा निष्कर्षों को लिखा जाए जिन्हें बाद में नियंत्रक तंत्र द्वारा वापस ले लिया गया हो या छोड़ दिया गया हो। इस बारे में यह सूचित करना आवश्यक होगा, बशर्ते वह सीमा या क्षेत्राधिकार से बाहर जैसे कारणों से वापस लिया गया हो/छोड़ा गया हो न कि व्यक्तिगत गुणों के कारण। यदि नियंत्रक तंत्र का आदेश अस्थायी रूप से रोका गया है तथा अपीलीय/न्यायालयीन कार्यवाहियाँ लंबित हैं तो इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।)	
V	मद सं. I से III तक के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा उपयुक्त एवं उचित का निर्णय करने संबंधी कोई अन्य सूचना	

वचन

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य एवं पूर्ण है। मैं वचन देता/देती हूँ कि ऊपर वर्णित सभी बातें जिनसे मेरी नियुक्ति का संबंध है तथा उनसे संबंधित सभी सूचनाओं एवं सभी घटनाओं से बैंक को यथाशीघ्र अवगत कराता रहूँगा/कराती रहूँगी।

मैं, बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने संबंधी सभी अपेक्षित विलेखों को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ।

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

संलग्नक:

1. यदि स्थान पर्याप्त न हो तो जानकारी क्रमानुसार तथा उचित संदर्भ सहित, अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
2. अनुलग्नक सहित सभी पृष्ठों पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।

नामांकन समिति की टिप्पणियाँ/अभियुक्तियाँ

समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य
स्थान :	स्थान :	स्थान :	स्थान :
दिनांक :	दिनांक :	दिनांक :	दिनांक :

	g	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V		Any other explanation/information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper.	

Undertaking

I _____ Son/ Daughter / Wife of Shri _____
confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenants required to be executed by all directors of the bank.

Place :

Date :

Signature of Candidate

Enclosures:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee

Committee Member	Committee Member	Committee Member	Committee Member

Place :

Date :

नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए)

(विनियमावली के विनियम 65 (डी) का संदर्भ लें)

सेवा में

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सिंडिकेट बैंक

प्रधान कार्यालय, मणिपाल

प्रिय महोदय,

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

दिनांक 17.08.2016 की आपकी नोटिस के संदर्भ में मैं, श्री/श्रीमती
सिंडिकेट बैंक का शेयरधारक हूँ और मैं, बुधवार दि. 17 अगस्त, 2016 (चुनाव में सहभागिता करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख) को ईक्विटी
शेयर रखता/रखती हूँ जिनका मूल्य प्रति शेयर ₹10 है और मैं श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री/श्रीमती..... निवासी.....
..... को 16.09.2016 को मणिपाल में आयोजित की जानेवाली बैंक के
शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों
के प्रतिनिधि के रूप में सिंडिकेट बैंक के निदेशक के पद पर निर्वाचित होने के लिए नामित करता/करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	
डी.पी.आई.डी. सं. तथा ग्राहक आई.डी. सं. (यदि बेकागजीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

नोट:

- ए) यदि नामांकन किसी कॉरपोरेट निकाय द्वारा किया गया है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति संलग्न की जाए जिस पर उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जिसमें संकल्प पारित हुआ है।
- बी) अभ्यर्थी को नामित करनेवाले शेयरधारक के हस्ताक्षर का मिलान बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ होने चाहिए।

NOMINATION FORM
(By the Shareholder)
[Refer Regulation 65(d) of the Regulations]

To
The Managing Director & Chief Executive Officer
Syndicate Bank
HO, Manipal

Sirs,

Nomination for election of a Director

With reference to your Notice dated 17.08.2016, I Shri/Smt. _____ a shareholder of Syndicate Bank holding _____ equity shares of ₹10/- each as on Wednesday, the 17th August, 2016 (being the Specified date considered for participating in the election), do hereby nominate Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of _____ residing at _____ for being elected as a Director of Syndicate Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 16.09.2016 at Manipal.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialised)	
Place	
Date	

Notes:

- a) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- b) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agents of the Bank.

अनुबंध

निदेशकों का चुनाव - संगत अधिनियमों, योजना और विनियमावलियों इत्यादि का उद्धरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) की शर्तों के अनुसार, शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2 बी) के खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी की गयी पूंजी की सीमा तक ही की जाए।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 की संगत धारा तथा इस संबंध में क्रमशः सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली, 1998 और भा.रि.बैं. के उचित और उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों की संगत विनियमावलियों को शेयरधारकों की सूचना हेतु नीचे दोहराया गया है: (उद्धरण में जहाँ कहीं भी कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराओं का वर्णन हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं का संदर्भ लिया जाए)।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध - धारा 16(1)

भारत में निगमित कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने बोर्ड में ऐसे व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त न करें जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो।

ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध - धारा 20

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए, कोई भी बैंकिंग कंपनी—
 - क) अपने शेयरों की जमानत पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या
 - ख) निम्नलिखित को या निम्नलिखित की ओर से ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए कोई वायदा नहीं करेगा—
 - I. अपने किसी निदेशक
 - II. कोई फर्म, जिसमें उसका कोई निदेशक-साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में हित रखता हो, या
 - III. कोई कंपनी, जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी संस्थान न हो या कोई कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या कोई सरकारी कंपनी (या होल्डिंग कंपनी की अनुषंगी कंपनी), जिसका कोई निदेशक बैंकिंग कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर हो या जिसमें वह पर्याप्त हित रखता हो, या
 - IV. कोई भी व्यक्ति, जिसके संबंध में उसके कोई निदेशक, साझेदार या गारंटर हो।
2. जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा संस्वीकृत ऋण या अग्रिम के लिए कोई वायदा न किया गया हो, बशर्ते जिस तारीख को ऋण या अग्रिम मंजूर किया गया था

ANNEXURE

ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME, AND REGULATIONS ETC.

In terms of Sections 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under clause (C) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 and RBI's fit and proper guidelines, Guidelines issued by Government of India, respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders. (Wherever sections of Companies Act, 1956 mentioned in the extracts, corresponding sections of Companies Act, 2013 may be referred)

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of common Directors - Section 16 (1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking company shall,
 - a) grant any loans or advances on the security of its own share, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of—
 - I. any of its Directors,
 - II. any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - III. any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary of the holding company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - IV. any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
2. Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-section (1) had been in force

उस तारीख को उप धारा (1) के खंड (बी) प्रचलन में हो (या ऋण को बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारंभ के एक वर्ष पहले बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया हो, किंतु उक्त धारा के प्रारंभ से पूर्व किए गए वायदे के अनुसरण में किया गया हो) तो ऐसे मामले में ऋण या अग्रिम की वजह से बैंकिंग कंपनी को देय राशि तथा उस पर उपचित ब्याज के साथ ऋण या अग्रिम को उसकी मंजूरी के समय निर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गयी है तो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर उसकी चुकौती की जाए।

बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक, इस संबंध में बैंकिंग कंपनी द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत किए गए अनुरोध पर ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को उस तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से तीन वर्षों से अधिक न हो, जो ऐसी शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा जो भा.रि.बैं. द्वारा उचित समझा जाए।

आगे, यह उप धारा उन मामलों में लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक पद को रिक्त कर देता है भले ही वह निदेशक की मृत्यु की वजह से हो, सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या किसी अन्य कारण से हो।

3. उप-धारा (2) या उसके किसी भाग में संदर्भित किसी भी ऋण या अग्रिम को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना विप्रेषित न किया जाए और ऐसे अनुमोदन के बिना दी गयी छूट अमान्य और निष्प्रभावी हो जाएगी।
4. यदि उप-धारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी व्यक्ति द्वारा देय हो जिसकी चुकौती उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को नहीं की गयी है तो, ऐसा व्यक्ति, उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है तो ऐसा समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त तारीख को अपने पद को रिक्त कर दिया है।

इस धारा का स्पष्टीकरण –

- ए. “ऋण या अग्रिम” में वे लेन-देन शामिल नहीं होंगे जिनके संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लेन-देन के स्वरूप पर विचार करते हुए निर्दिष्ट अवधि के भीतर और ढंग से तथा परिस्थितियों के अधीन लेन-देन के कारण देय किसी राशि की उगाही होने की संभावना हो, जमाकर्ता के हित और अन्य संगत प्रतिफल जिनका उल्लेख उक्त धारा के उद्देश्य हेतु सामान्य या विशेष आदेश में ऋण या अग्रिम के रूप में न किया गया हो।
- बी. “निदेशक” में वह सदस्य शामिल है जो भारत में किसी बोर्ड या उस समिति का सदस्य हो जिसका गठन किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा अपने किसी या सभी कार्यों के प्रबंधन के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से किया गया हो।
5. यदि इस धारा के प्रयोजन हेतु किसी लेन-देन का ऋण या अग्रिम होने का कोई प्रश्न उठता है तो इसे भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित किया जाए, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

ऋण एवं अग्रिम – वैधानिक एवं अन्य निषेध पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक मास्टर परिपत्र आरबीआई/2015-16/95 डीबीओडी सं. डीआईआर बीसी. 10/13.03.00/2015-16 दि. 1 जुलाई 2015 जारी किया है।

on the date on which the loan or advance was made (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement), steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;

Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on application made in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit:

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3. No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
4. Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

- a. “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- b. “Director” includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

Reserve Bank of India has issued a Master Circular RBI/2015-16/95 (DBOD.No.Dir.BC. 10/ 13.03.00/2015-16 dated July 1, 2015 on Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions.

शेयरधारकों से अनुरोध है कि चुनाव में उम्मीदवार के रूप में अपने नामांकन पत्र भरने से पूर्व उक्त परिपत्र का अध्ययन कर लें ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 [अधिनियम]

मताधिकार पर प्रतिबंध

3(2 ई): अनुरूपी नये बैंक का कोई भी शेयरधारक, जो केन्द्र सरकार से भिन्न, अनुरूपी नये बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत (बैंकिंग संशोधन बिल 2012 के तहत संशोधित) से अधिक शेयर रखता है, तो यह उक्त अतिरिक्त शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

निदेशक मंडल का गठन

9(3)(i) धारा 3 की उप-धारा (2 बी) खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी की गयी पूंजी:

- I. कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है तो, एक निदेशक,
- II. कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक किंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है तो, दो निदेशक
- III. कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो, तीन निदेशकों का चयन उन शेयरधारकों में से किया जाएगा जो केन्द्र सरकार से भिन्न हैं:

बशर्ते कि इस खण्ड के अंतर्गत ऐसे निदेशकों का चयन करने के बाद उनके पदग्रहण करने पर खण्ड (एच) के अंतर्गत समान संख्या में निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट ढंग से सेवानिवृत्त हो जाएंगे ।

बशर्ते कि यदि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले संबंधित नये बैंक में चयनित निदेशकों की संख्या उप खण्ड (i) या उप खण्ड (ii) या उप खण्ड (iii), जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक है तो, ऐसे चयनित अतिरिक्त निदेशकगण, योजना में विनिर्दिष्ट ढंग से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और अपने पद से समयपूर्व ढंग से निवृत्त होनेवाले ऐसे अतिरिक्त निदेशक अपनी पदावधि के संबंध में कोई क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे ।

9 (3 ए): उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत चयनित निदेशकों से अपेक्षित है कि वे –

(ए) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के संबंध में उनके पास विशिष्ट जानकारी या व्यावहारिक अनुभव हो, उदाहरणार्थ:

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- अन्य कोई विशेष जानकारी और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय के अनुसार, संबंधित नए बैंक के लिए उपयोगी हो ।

Shareholders are requested to go through the aforesaid Circular before filling their nomination form as a candidate for the Election.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970 [ACT] Restrictions on voting rights

3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of **Ten** percent (amended vide Banking amendment bill 2012) of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors

9(3)(i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:-

- I. not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director,
- II. more than sixteen per cent but not more than thirty two percent of the total paid-up capital, two Directors,
- III. more than thirty two percent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

Provided that in case the number of the Directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, in corresponding new bank exceed the number of Directors specified in sub clause (I) or sub clause (II) or sub clause (III), as the case may be, such excess number of Directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for premature retirement of the term of office.

9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) of sub-section (3) shall-

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely-

- agriculture and rural economy
- Banking
- co-operation
- economics
- finance
- law
- small scale industry
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the corresponding new Bank.

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, या

(सी) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

9(3ए): उप-धारा (3ए) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम या प्रचलित किसी विधि में शामिल किसी बात के होते हुए किसी भी व्यक्ति को उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चयनित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उक्त व्यक्ति अच्छा ट्रेक रिकार्ड, निष्ठा के आधार पर उचित और उपयुक्त स्थिति बनाए रखता हो तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचित अन्य मानदण्डों का पालन करता हो।

9(3एबी): भारतीय रिज़र्व बैंक उप-धारा (3ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उचित और उपयुक्त स्थिति को निर्धारित करने का प्राधिकार, ऐसे निर्धारण का ढंग, ऐसे निर्धारण के संबंध में पालन की जानेवाली प्रक्रिया तथा अन्य मामलों का उल्लेख भी कर सकेगा जो आवश्यक या प्रासंगिक समझा गया हो।

9(3बी): जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक मानता है कि उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत अनुरूपी नया बैंक का कोई निदेशक उप-धारा (3ए) और (3ए) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर रहा है तो यह ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के बाद, आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकेगा और इस प्रकार निदेशक को निकालने के बाद अगली वार्षिक आम बैठक के दौरान अनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक का विधिवत् चयन किए जाने तक निदेशक मंडल, हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक के रूप में सहयोजित कर सकता है जो उप-धारा (3ए) और (3ए) की अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को अनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत् चयनित निदेशक समझा जाएगा।

निष्ठा और गोपनीयता का दायित्व:

13(2): हर निदेशक, स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य या लेखा परीक्षक, सलाहकार या अनुरूपी नए बैंक का अधिकारी या अन्य कर्मचारी से अपेक्षित है कि वे अपने कार्य शुरू करने से पहले तीसरी अनुसूची में दिए गए फॉर्म के अनुसार निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करें।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 (योजना)

4ए. अतिरिक्त चयनित निदेशक की निवृत्ति का तरीका:

अतिरिक्त निदेशकों की संख्या का निर्धारण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (i) के दूसरे परंतुक के अनुसार किया जाएगा और शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) द्वारा चयनित निदेशकों की संख्या के बराबर की संख्या के निदेशक सेवा निवृत्त हो जाएंगे और जिस निदेशक ने सबसे लंबी अवधि तक सेवा की है उसकी सेवा-निवृत्ति सब से पहले होगी।

बशर्ते, यदि दो या अधिक निदेशकों ने एक ही अवधि के लिए सेवा की है तो उनमें से अधिक उम्र वाले निदेशक पहले निवृत्त होंगे।

(B) represent the interest of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

9(3AA) - Without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub-section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

9(3AB) – The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) – Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may, after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Directors and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholder of the corresponding new Bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

13(2) Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970 [SCHEME]

4A. Manner of retirement of excess elected director: -

“The number of excess directors shall be determined under the second proviso to clause (i) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and such number of directors elected by the shareholders (other than the Central Government) equal to the number so determined shall retire, and the order in which the directors shall retire, will begin with the longest serving director;

Provided that, if two or more directors have served for the same period of time, the older among the said directors shall retire first.”

चयनित निदेशक की पदावधि

खण्ड 9(4):

चयनित निदेशक की पदावधि तीन वर्ष की होगी और वे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते, कोई भी निदेशक निरंतर अथवा आवधिक रूप में छह वर्षों से अधिक अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

निदेशकों की अनर्हता

खण्ड 10:

किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मामले में निदेशक बनने से अनर्ह किया जा सकता है:

- ए. यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या भुगतान को रोका हो या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन किया हो; या
- बी. उसको सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त मस्तिष्क वाला व्यक्ति घोषित किया गया हो; या
- सी. उसको किसी ऐसे अपराध के लिए फौजदारी न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किया गया हो, जिसमें नैतिक भ्रष्टता शामिल है; या
- डी. यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में, पूर्णकालिक निदेशक के पद से भिन्न, बैंक के कर्मचारियों में से उक्त अधिनियम धारा की उप-धारा(3) के खण्ड (ई) और (एफ) के अंतर्गत नामित प्रबंध निदेशक एवं निदेशक सहित किसी लाभकारी पद को ग्रहण किए हुए हो।

निदेशकों के पद को रिक्त करना, इत्यादि

खण्ड 11:

- ए. यदि कोई निदेशक खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के अंतर्गत आता हो या वह निरंतर तीन या उससे अधिक बैठकों में बोर्ड की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता हो तो यह माना जाएगा कि उसने अपने पद को छोड़ दिया है और तदनुसार उसका पद रिक्त हो जाएगा।
- बी. उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (बी) या खण्ड (सी) या खण्ड (डी) में यथाउल्लिखित अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक तथा प्रबंध निदेशक का या कोई निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और यदि उसका इस्तीफा सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है; अन्य निदेशक भी केन्द्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और ऐसा इस्तीफा केन्द्र सरकार द्वारा इस्तीफा की सूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा।
- सी. पूर्वगामी उपखण्डों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ई) और (एफ) में उल्लिखित निदेशक का पद तब रिक्त हो जाएगा, जब निदेशक की, कामगार या कर्मचारी के रूप में सेवाएं समाप्त हो जाती हैं, उस राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार से भिन्न, जिसका वह निदेशक है।

Terms of office of elected Director

Clause 9(4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided no such Director shall hold office continuously or intermittently for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors

Clause 10:

A person shall be disqualified from being appointed as, and from being a Director:

- a. if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or
- b. if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c. If he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude.
- d. If he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section of the Act from among the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors, etc.

Clause 11:

- a. If a director becomes subject to any of the disqualifications specified in Clause 10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- b. The Chairman or whole-time director including the Managing Director or a director referred to in Clause (b) or Clause (c) or Clause (d) of sub-section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; any other director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- c. Without prejudice to the provision of the foregoing Sub-clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the nationalized bank of which he is a Director.

डी. चयनित निदेशक से भिन्न किसी अन्य निदेशक का पद रिक्त हो जाता है तो उसे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार भरा जाएगा।

चयनित निदेशक को पद से हटाया जाना:

खण्ड 11-ए:

केन्द्र सरकार से भिन्न, शेयरधारक, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत चयनित किसी भी निदेशक को उन शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटा सकते हैं, जिनकी शेयरधारिता सभी शेयरधारकों द्वारा रखी गयी कुल शेयर पूँजी के ½ से कम न हो।

चयनित निदेशक पद में हुई रिक्ति को भरना

खण्ड 11-बी:

- (1) यदि चयनित निदेशक की पदावधि की समाप्ति से पहले कोई पद रिक्त हो जाता है तो उक्त रिक्त पद को चुनाव द्वारा भरा जाएगा:
बशर्ते, यदि रिक्ति की अवधि छह महीने से कम होने की संभावना है तो, उक्त रिक्त पद को शेष निदेशकों द्वारा भरा जाए।
- (2) उप-खण्ड (1) के अंतर्गत चयनित या स्वयोजित व्यक्ति, इनमें से जो भी मामला हो, अपने पूर्ववर्ती निदेशक की अवधि के शेष भाग के लिए पदभार संभाल सकता है।

निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटीकरण

खण्ड 12 (8):

कोई निदेशक, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उनकी ओर से की गयी या की जानेवाली किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से संबद्ध या हितबद्ध हो, उससे अपेक्षित है कि ज्यों ही उसे संगत परिस्थितियों की सूचना मिलती है, वह अपने हितों की प्रकृति को यथाशीघ्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रकट करेगा और उस मंडल बैठक में उपस्थित नहीं होगा जब किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव के बारे में उक्त बैठक में चर्चा की जाती हो, बशर्ते, इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो और बैठक में उपस्थित होनेवाले कोई भी निदेशक ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते, इस उप-खण्ड में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित कारणों से ऐसे निदेशक पर उक्त खण्ड लागू होगा:

- (i) कोई शेयरधारक (निदेशक से भिन्न) जो कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या किसी निगम जो भारत में फिलहाल प्रचलित किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित हो या किसी सहकारी समिति जिसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक ने संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव हेतु करार किया हो या करार करने का प्रस्ताव किया हो उसमें उसकी प्रदत्त पूँजी के दो प्रतिशत से अधिक शेयर न रखता हो।
- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो उक्त अधिनियम के धारा 9 के उप-धारा (3) के खण्ड (ई) या खण्ड (एफ) में उल्लिखित निदेशक हो।

- d. Where any vacancy occurs in the office of a director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected director

Clause 11-A:

The shareholders other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any director elected under Clause (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected director

Clause 11-B

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election:
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.
- (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of Interest by Directors

Clause 12 (8):

A director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other directors for the purpose of eliciting information and no director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such director by reason only of his being-

- (i) a shareholder (other than a director) holding not more than two per cent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal, or
- (ii) an officer or other employee of the nationalised bank, if he is a director referred to in Clause (e) or Clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998

संयुक्त धारक के अधिकारों का प्रयोग

विनियमन 10

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले उल्लेख किया गया है उसे मतदान, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस जारी करने या शेयरों के अंतरण से भिन्न बैंक से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में एकल शेयरधारक माना जाएगा।

आम बैठकों में मतदान

विनियमन 61

- i) किसी भी आम बैठक में मतदान हेतु प्रस्तुत संकल्प को हाथ उठाकर निर्धारित किया जाएगा बशर्ते मतदान की मांग न की गयी हो। (कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में किसी संकल्प से संबंधित आम बैठक के उद्देश्य का निर्धारण केवल मतदान द्वारा किया जाता है)
- ii) अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आम बैठक में प्रस्तुत प्रत्येक मामले का निर्धारण बहुमत के आधार पर किया जाएगा।
- iii) उप-विनियम (i) के अंतर्गत जब तक मतदान के लिए मांग नहीं की जाती है और बैठक के अध्यक्ष यह घोषणा नहीं करते हैं कि संकल्प को हाथ उठाकर पारित किया जाए या किया गया है भले ही उसे एक मत से पारित किया गया हो या बहुमत से और जिसकी प्रविष्टि बैठक के कार्यवृत्त से संबंधित बही में की गयी हो, तब तक इस तथ्य को ऐसे संकल्प के पक्ष में या उसके विरुद्ध डाले गए वोटों के अनुपात की संख्या के सबूत के बिना निर्णायक सबूत माना जाएगा।
- iv) मतदान के परिणामों की घोषणा करने से पहले या उसके बाद या हाथ उठाकर किसी संकल्प पारित करने के बाद बैठक के अध्यक्ष अपने स्व निर्णय से मतदान के लिए आदेश दे सकते हैं और इस संबंध में किसी शेयरधारक या स्वयं उपस्थित शेयरधारकों या उस प्रॉक्सी जिसके पास बैंक के शेयर हो जिससे उसको मतदान करने का अधिकार हो और जो संकल्प के संबंध में कुल मताधिकार के 1/5 से कम न हो, उनकी ओर से की गयी मांग पर या उनके द्वारा दिए जानेवाले आदेश के अनुसार मतदान के लिए आदेश दे सकते हैं।
- v) मतदान के लिए जो मांग की जाती है उसे किसी भी समय उसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वापस ली जा सकती है जिसने मांग की हो।
- vi) बैठक के स्थगन और अध्यक्ष के चुनाव के मामले में मतदान हेतु मांग की जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
- vii) अन्य किसी मामले में मतदान के लिए मांग की जाती है तो उस पर बैठक के अध्यक्ष के निदेशानुसार मांग किए जाने के समय से 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
- viii) किसी व्यक्ति के मतदान की अर्हता और मतदान में कोई व्यक्ति कितने वोट डालने के लिए सक्षम है, इस पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा लिया जानेवाला निर्णय अंतिम होगा।

आम बैठक में चयनित किए जानेवाले निदेशक

विनियमन 63

- i) उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत किसी निदेशक का चयन केन्द्र सरकार से भिन्न, रजिस्टर में शामिल शेयरधारकों द्वारा बैंक की आम बैठक में शेयरधारकों में से किया जाएगा।

SYNDICATE BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 1998

EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

Regulation 10

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

VOTING AT GENERAL MEETINGS:

Regulation 61

- i) At any General Meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded be decided on a show of hands. (In terms of Companies Act, 2013, sense of the General Meeting with regard to any resolution is determined only by poll).
- ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a General Meeting shall be decided by a majority of votes.
- iii) Unless a poll is demanded under Sub-Regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.
- iv) Before or on the declaration of the result of the voting or any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the Meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- v) The demand for the poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- vi) The poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.
- viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

DIRECTORS TO BE ELECTED AT GENERAL MEETING

Regulation 63

- i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.

- ii) यदि किसी आम बैठक में निदेशक का चयन करना है तो इसकी सूचना बैठक आयोजित करने के संबंध में जारी की जानेवाली नोटिस में शामिल की जानी चाहिए। ऐसी प्रत्येक नोटिस में चयनित होनेवाले निदेशकों की संख्या तथा उन रिक्तियों के ब्यौरे का उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके लिए चुनाव आयोजित किया जाना है।

शेयरधारकों की सूची

विनियमन 64

- i) इन विनियमावलियों के विनियम 63 के उपविनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के उद्देश्य हेतु रजिस्टर पर शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी जिसमें से निदेशक का चयन किया जाएगा।
- ii) उक्त सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, संख्या और उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या तथा उक्त शेयरों को पंजीकृत करवाने की तारीख तथा चुनाव के लिए आयोजित की जानेवाली बैठक की तारीख को वे कितने वोटों के लिए पात्र हैं, आदि जैसे ब्यौरे शामिल होंगे और सूची की प्रतियां खरीद के लिए उपलब्ध होंगी, जो मंडल या प्रबंधन समिति द्वारा निर्दिष्ट मूल्य पर बैठक के लिए निर्दिष्ट तारीख से कम से कम तीन हफ्ते पहले प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होंगी बशर्ते इसके लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता हो।

चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन:

विनियमन 65

- i) निदेशक के रूप में चयन के लिए उसका नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह -
- ए) बैंक में 100 (एक सौ) से अधिक शेयर रखनेवाला शेयरधारक न हो;
- बी) नामांकन प्राप्ति की अंतिम तारीख को उसे उक्त अधिनियम या योजना के अंतर्गत निदेशक के रूप में चयनित करने के लिए अनर्ह नहीं किया गया हो;
- सी) उसने, एकल रूप में या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से रखे गए बैंक शेयरों से संबंधित सभी मांग राशियों को भुगतान हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उससे पहले भुगतान न कर दिया हो;
- डी) लिखित नामांकन पर कम से कम एक सौ शेयरधारकों के हस्ताक्षर होने चाहिए जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत या उनके सम्यक् रूप से नियुक्त अटर्नी द्वारा निदेशकों का चयन करने के लिए पात्र हो, बशर्ते नामांकन किया जानेवाला शेयरधारक एक कंपनी है तो नामांकन को उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा किया जाए और ऐसे मामले में संकल्प की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाए जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो जिसमें उक्त संकल्प को पारित किया गया हो और ऐसी प्रति को कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
- ई) नामांकन के साथ एक घोषणा-पत्र भी संलग्न हो या शामिल हो जो अभ्यर्थी द्वारा किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एशुरेन्स का रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीय बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित हो और उक्त घोषणा पत्र में यह उल्लेख हो कि वे नामांकन को स्वीकार करेंगे और वे चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं तथा उनको उक्त अधिनियम या योजना या इन विनियमावलियों के अंतर्गत निदेशक बनने से अनर्ह नहीं ठहराया गया है।

- ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

LIST OF SHAREHOLDERS:

Regulation 64

- i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

Regulation 65

- i) 'No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless-
- a) he is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in the Bank;
- b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;
- c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
- d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
- e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the scheme or these regulations from being a Director.

- ii) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक यह पूरी तरह भरे हुए संगत दस्तावेजों के साथ प्राप्त नहीं होता है और वह बैठक के लिए निर्दिष्ट तारीख से चौदह कार्य दिवसों से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए।

नामांकन की छानबीन

विनियमन 66

- i) नामांकनों की छानबीन नामांकनों की पावती के लिए निर्दिष्ट अंतिम तारीख के बाद प्रथम कार्यदिवस को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा और अस्वीकृति के कारणों को अभिलेखित किया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरी जानेवाली किसी रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ है तो ऐसे नामित अभ्यर्थी को तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पते को प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे मामले में बैठक में कोई चुनाव आयोजित नहीं किया जाएगा और यदि बैठक को उपर्युक्त चुनाव आयोजित करने के लिए ही बुलाया गया है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।
- ii) चुनाव आयोजित किए जाने के मामले में यदि प्राप्त वैध नामांकनों की संख्या चयनित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या से अधिक है तो, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
- iii) वर्तमान रिक्ति को भरने के लिए चयनित निदेशक के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने निर्वाचन की तारीख या उसे चयनित समझे जाने की तारीख के अगले दिन कार्यग्रहण कर लिया है।

चुनाव संबंधी विवाद:

विनियमन 67

- i) यदि चयनित समझे गए या चयनित घोषित किए गए व्यक्ति या निदेशक या कोई व्यक्ति जो एक अभ्यर्थी या शेयरधारक हो जो उक्त चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हो उसकी अर्हता या अनर्हता के बारे में संदेह या विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे चुनाव के परिणाम घोषित करने की तारीख से सात दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित सूचना दी जा सकती है और उक्त सूचना में उन सभी कारणों का उल्लेख किया जाए जिनकी वजह से उन्होंने चुनाव की वैधता पर संदेह या विरोध किया है।
- ii) उप-विनियम (i) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के बाद बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद पर निर्णय लेने हेतु उसे तुरंत एक समिति को संदर्भित करेंगे जिसमें बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (बी) और (सी) के अंतर्गत नामित कोई दो निदेशक शामिल होंगे।
- iii) इस मामले में उप-विनियम (ii) में उल्लिखित समिति द्वारा आवश्यक जाँच की जाएगी और यदि समिति द्वारा चुनाव वैध पाया जाता है तो वह घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या समिति द्वारा यह पाया जाता है कि चुनाव वैध नहीं था तो समिति जाँच शुरू करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दोबारा

- ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

SCRUTINY OF NOMINATIONS:

Regulation 66

- i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the last date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.
- ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

ELECTION DISPUTES:

Regulation 67

- i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii) On receipt of an intimation under Sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under Clause (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order

मतदान आयोजित करने के साथ-साथ ऐसे आदेश और निदेश पारित करेगी जो परिस्थितियों के अनुरूप उचित समझा जाए।

- iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति द्वारा जारी किए गए आदेश और निदेश निर्णायक होंगे।

मतदाधिकारों का निर्धारण:

विनियमन 68

- i) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ई) में उल्लिखित उपबंधों के अधीन प्रत्येक शेयरधारक, जिसे आम बैठक तारीख से पहले रजिस्टर के समापन की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, वह ऐसी बैठक में हाथ उठाकर एक वोट डालने के लिए पात्र है और मतदान के मामले में वह अपने पास रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट डाल सकेगा।
- ii) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ई) में उल्लिखित उपबंधों के अधीन प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी नहीं हो, और बैठक में स्वयं या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होता हो या जो एक कंपनी हो और बैठक में एक विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि का प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होता हो तो उसके पास हाथ उठाकर एक वोट डालने का अधिकार होगा और मतदान के मामले में उपर्युक्त उप-विनियम (i) के अनुसार उसके पास रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।
- स्पष्टीकरण – इस अध्याय के लिए “कंपनी” का अर्थ किसी कारपोरेट निकाय से होगा।
- iii) बैंक के शेयरधारक जो आम बैठक में उपस्थित होने के लिए और वोट डालने के लिए पात्र हैं वे अपनी ओर से बैठक में उपस्थित होने के लिए और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी (शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त कर सकते हैं; परंतु इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं होगा।

विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

विनियमन 69

1. कोई शेयरधारक, जो केन्द्र सरकार हो या कंपनी हो, किसी संकल्प द्वारा, इनमें से जो भी मामला हो, अपने किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति को शेयरधारकों की आम बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति (जिन्हें इस विनियमावली में “विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि” कहा गया है) केन्द्र सरकार या उस कंपनी की ओर से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग के लिए पात्र है जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जैसा कि वह बैंक का एक वैयक्तिक शेयरधारक हो। इस प्रकार दिए गए प्राधिकार वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में दिया जा सकता है और ऐसे मामले में केवल एक ही व्यक्ति केन्द्र सरकार/कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक उपस्थित नहीं हो सकेगा या वोट नहीं डाल सकेगा जब तक वह उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने से संबंधित संकल्प की प्रति को बैठक के लिए निर्दिष्ट तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं करता हो, जो इस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो जिसमें उक्त संकल्प पारित किया जाएगा।

and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

- iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

DETERMINATION OF VOTING RIGHTS:

Regulation 68

- i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i) Explanation – for this Chapter, “Company” means any body corporate.
- iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

VOTING BY DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE:

Regulation 69

1. A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a ‘duly authorised representative’ in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorised representative of the Central Government/ Company.
2. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

प्रॉक्सी विनियमन 70

- i. प्रॉक्सी की लिखत तभी वैध होगी जब व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में उसकी अटर्नी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाए या संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए अथवा किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- ii. बशर्ते प्रॉक्सी लिखत पर शेयरधारक के विधिवत हस्ताक्षर होने चाहिए किंतु शेयरधारक किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह ऊपर अंगूठा-निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट, आशवासनों का रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेटबैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
- iii. प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह विधिवत स्टांपित न हो तथा बैठक हेतु निर्धारित तिथि से चार दिन पहले उसे बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न किया गया हो, इसके साथ ही, मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो जिसके तहत हस्ताक्षर किया गया हो, तो उसे भी जमा किया जाए; अथवा उस मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार की प्रमाणित सत्य प्रति जो कि नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया गया हो बशर्ते ऐसा मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो।
- iv. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह फार्म “बी” में न हो।
- v. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अंतिम तथा अप्रतिस्पर्धी होगी।
- vi. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किया जाए।
- vii. इस विनियम के अंतर्गत प्रॉक्सी लिखत के व्यक्ति को उस बैठक से संबंधित लिखत पर व्यक्तिगत रूप से वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
- viii. सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक का उचित और उपयुक्त मानदण्ड से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत

भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा 3 (एए) और 3(एबी) के अंतर्गत प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना डीबीओडी बीसी. सं. 46/29.39.001/2007-08 दि.01 नवंबर 2007 में जारी की है जिसमें उन्होंने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पूर्ति किए जानेवाले विशिष्ट “उचित और उपयुक्त” मानदण्ड दिए हैं।

PROXIES Regulation 70

- i. No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing, or in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing.
- ii. Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Syndicate Bank.
- iii. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof is deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority, if any under which it is signed. or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public, or a Magistrate unless such a power of Attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- iv. No Instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form “B”.
- v. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- vi. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vii. The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- viii. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI) in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act, 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 laying down specific “fit and proper” Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act, 1970/1980.

मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताएं

1. “उचित और उपयुक्त” स्थिति इत्यादि को निर्धारित करने का प्राधिकार, ढंग/प्रक्रिया और मानदण्ड निम्नवत् हैं:

(ए) प्राधिकार:

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षा है कि वे एक “नामांकन समिति” का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल में से कम-से-कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशक) शामिल हों। निदेशक मंडल को चाहिए कि वे अपने किसी निदेशक को नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करें। अध्यक्ष सहित तीन सदस्यगण के कोरम होने चाहिए। यदि पहले से नामित कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो, निदेशक मंडल आगामी बैठक के लिए अनुपस्थित सदस्य के स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को नामित कर सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड उसकी अवधि का निर्धारण कर सकता है।

(बी) ढंग और प्रक्रिया:

नामांकन समिति को चाहिए कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चयनित व्यक्ति/वर्तमान चयनित निदेशक की “उचित और उपयुक्त” स्थिति के निर्धारण हेतु सम्यक् तत्परता प्रक्रिया शुरू करें। इस उद्देश्य हेतु बैंकों से अपेक्षा है कि वे उन वर्तमान चयनित निदेशकों से विनिर्दिष्ट संलग्न फॉर्मेट (अनुबंध-1) में आवश्यक सूचना और घोषणा पत्र प्राप्त करें जिन्होंने चुनाव के लिए अपना नाम दर्ज करवाया है। नामांकन समिति से अपेक्षा है कि वे अभ्यर्थी के चयन करने के मामले में नामांकन की स्वीकृति हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख से पहले बैठक आयोजित करें और निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर व्यक्ति की अभ्यर्थिता को स्वीकार करना है या नहीं इसके बारे में उक्त बैठक में निर्णय लें। बैठक में समिति द्वारा जो चर्चा की जाती है उसको औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकार्ड किया जाए और यदि मतदान किया गया है तो वर्तमान और प्रस्तावित दोनों निदेशकों के ब्यौरे नोट किए जाएं। नामांकन समिति से अपेक्षा है कि वे विधिवत् हस्ताक्षरित घोषणापत्र में प्रस्तुत की गयी सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को स्वीकार करने या न करने के बारे में निर्णय लें और यदि आवश्यक पाया जाता है तो इसकी सूचना समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों को दी जाए ताकि उपर्युक्त अपेक्षाओं के संबंध में उनके अनुपालन की पुष्टि की जा सके।

(सी) मानदण्ड:

नामांकन समिति को चाहिए कि वे वर्तमान चयनित निदेशकों/प्रस्तावित अभ्यर्थियों की “उचित और उपयुक्त” स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित व्यापक मानदण्डों के आधार पर करें:

- i) शैक्षिक योग्यता
- ii) अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र
- iii) ट्रैक रिकार्ड और ईमानदारी इत्यादि

नामांकन समिति को चाहिए कि वे उपर्युक्त किसी मानदण्ड के अनुपालन से क्या वर्तमान चयनित निदेशक/प्रस्तावित अभ्यर्थी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाल सकता है, इसकी जाँच करें। पुनः, यदि अभ्यर्थी के खिलाफ किसी प्राधिकारी/विनियामक एजेंसी या दिवालिया या किसी बैंक की वित्तीय संस्था से

SALIENT FEATURES OF THE GUIDELINES

1. The authority, manner/procedure and criteria for deciding the “fit and proper” status etc., are as under:

(a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a “Nomination Committee” consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the Board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

(b) Manner and procedure

The nomination Committee should undertake a process of due diligence to determine the “fit and proper” status of existing elected directors/ the person to be elected as director under Section 9(3) (i) of the Act. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the specified format, from the existing elected directors/ persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person’s candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee’s discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

(c) Criteria

The nomination committee should determine the “fit and proper” status of the existing elected directors/ proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- i. Educational Qualification
- ii. Experience and field of expertise
- iii. Track record and integrity, etc.,

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority /regulatory agency or insolvency or default

लिए गए ऋण की चुकौती में की गयी चूक की वजह से प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है तो अभ्यर्थी को बैंक के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए अयोग्य और अनुपयुक्त ठहराया जाएगा।

(डी) अन्य मामले:

यह वांछनीय है कि जनहित की दृष्टि से यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चयनित निदेशक एक प्रसंविदा विलेख का निष्पादन करेंगे (भा. रि. बैं. के परिपत्र डीबीओडी सं. बीसी. 116/08.139.001/2001-02 दि. 20 जून 2002 के तहत डॉ. गांगुली ग्रुप की सिफारिशों के अनुसरण में) और दि. 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष भी करेंगे।

यह भी अनिवार्य है कि सभी चयनित निदेशक हर वर्ष 31 मार्च को एक साधारण घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा पहले प्रस्तुत की गयी सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यदि उससे कोई परिवर्तन हुआ है तो उनके ब्यौरे तुरंत प्रस्तुत किए जाएं। यदि उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो नामांकन समिति से अपेक्षा है कि वे नए सिरे से सम्यक् तत्परता प्रक्रिया शुरू करें और निदेशक की “उचित एवं उपयुक्त” स्थिति की जांच करें।

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एफ आई/आर बी आई/बीमा कंपनियों में गैर-सरकारी निदेशक के चयन करने के मानदंड

ए. अनुभव का मानदंड

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति में निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा :

- ए) साधारणतया कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैंकिंग, कोऑपरेशन, इकोनामिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, मानव संसाधन, फाइनेंस, कॉरपोरेट लॉ, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आई.टी. के क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त और विशेष शैक्षिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। किसी उच्च पद पर 20 वर्षों का औद्योगिक अनुभव, संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता (किसी प्रतिष्ठित संस्थान को सफलता पूर्वक चलाना और किसी विफल संस्थान की काया पलट करना) प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।
- बी) 20 वर्ष के कुल अनुभव और संयुक्त सचिव एवं उससे उच्च पद पर कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखनेवाले सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्त के एक वर्ष बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सेवानिवृत्त सी.एम.डी./ई.डी./पीएसबी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए उन सेवानिवृत्त सी.एम.डी./ई.डी. के नामों पर विचार नहीं किए जाएंगे जो उसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं जिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति होनी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कार्यरत सीएमडी/ईडी के नामों पर किसी भी पीएसबी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- सी) 20 वर्ष से अधिक अनुभव रखनेवाले शिक्षक/प्रीमियर मैनेजमेंट/बैंकिंग संस्थाओं के निदेशक तथा प्रोफेसर। 20 वर्ष का अनुभव (लेखापरीक्षा के अनुभव को छोड़कर) रखनेवाले सनदी लेखाकारों को भी वरीयता दी जाएगी।

of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a Bank.

(d) Other Matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr. Ganguly Group vide RBI Circular DBOD No. BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002) and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March and that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the “fit and proper” status of the director.

Criteria laid in by the Government of India for consideration as non-official Director in Public Sector Banks/Fis/RBI/ insurance Companies

A) Criteria of experience

The following categories of persons will be considered for appointment of Part-Time Non-Official Director(NoD) on the Boards of Public Sector Banks/Reserve Bank of India/Financial Institutions/Public Sector Insurance Companies:

- (a) Person's of eminence with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law; Risk Management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
- (b) Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks will be considered for appointment only after one year of retirement. The ex CMDs/EDs will not be considered for appointment as NoD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as NoD on the Board of any other PSB.
- (c) Academicians/ Directors of premier Management/ Banking Institutes and Professors having more than 20 years' experience. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

बी. शैक्षिक योग्यता का मानदंड

गैर-सरकारी निदेशक, कम से कम, किसी प्रमुख क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए मुख्यतया बिजनेस मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन, फाइनेंस, मानव संसाधन एवं आईटी में विशेषज्ञता।

सी. उम्र का मानदंड

सर्च कमेटी की अनुशंसा की तिथि को निदेशक की उम्र 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

डी. कार्य अनुभव का मानदंड

व्यावसायिकों/विद्वानों को अपने विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने का सामान्यतः 20 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए।

ई. अयोग्यता के मानदंड

- ए) किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था (एफआई)/आरबीआई/बीमा कंपनी में किसी भी श्रेणी में पहले से ही कार्यरत निदेशक को किसी अन्य बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी में गैर-सरकारी निदेशक पद के नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- बी) हायर परचेज, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग से संबंधित व्यक्ति, एमपी, एमएलए, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर को बैंकों/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। हायर परचेज, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग के निवेशक को गैर-सरकारी निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि उनका इन कंपनियों में कोई या किसी भी प्रकार का प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है।
- सी) किसी भी बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में कोई भी व्यक्ति गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनःनामित नहीं हो सकता है यदि उसने पूर्व में उस संस्था में किसी भी श्रेणी में निदेशक के रूप में दो कार्यकाल पूरे कर लिए हों या छः वर्षों तक, जो भी अधिक हो, काम किया हो।

एफ. कार्यकाल का मानदंड

एक गैर-सरकारी निदेशक को किसी भी बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के निदेशक के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए यदि वह किसी अन्य बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में छः वर्षों तक निरंतर या आवधिक रूप में गैर-सरकारी निदेशक/शेयरधारक निदेशक रह चुका हो।

भारत सरकार की दिशानिर्देश, दि. 08/07/2016

- i) यदि कोई सनदी लेखाकार फर्म किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में वर्तमान में नियोजित है तो उस फर्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/पीएसबी के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पात्र नहीं हो सकता।
- ii) यदि कोई सनदी लेखाकार फर्म किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में वर्तमान में सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक या समवर्ती लेखा-परीक्षक के रूप में नियोजित है तो उस फर्म के किसी भी भागीदार को उस बैंक के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

B. Criteria of Educational Qualification

An NoD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

C. Criteria of age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

D. Criteria of Work Experience

Professionals/ academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

E. Criteria of Disqualification

- (a) A Director already on a Bank/Financial institution (FIs)/ RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NoD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
- (b) Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- (c) No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

F. Criteria of Tenure

An NoD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NoD/ Shareholder Director on the board of any other Bank/ FI/RBI/Insurance company for six years, whether continuously or intermittently.

GOI Guidelines dated 08.07.2016

- i. If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as a Non-Official Director in any Nationalised Bank/PSB.
- ii. If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalised Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as a Non-official Director in the same Bank.



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 16 सितंबर, 2016

समय : प्रातः 10.00 बजे

स्थान : सिंडिकेट बैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की असाधारण आम बैठक में एतद्वारा मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर अनुलिपि उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।



Head Office : Manipal

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 16th September, 2016

Time : 10.00 a.m.

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			



Head Office : Manipal

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			

Shareholders / proxy or authorized representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip will be issued at the entrance to the meeting.



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डी पी आई डी व ग्राहक आई डी
(यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____
 सिंडिकेट बैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____
 निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को, अथवा इनके न होने पर,
 श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को
 सिंडिकेट बैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में दि. 16.09.2016 को प्रातः 10.00 बजे होनेवाली सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक और
 उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।
 वर्ष 2016 के _____ माह के _____ दिन को हस्ताक्षरित

कृपया ₹1/-
का राजस्व
टिकट लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

- प्रॉक्सी लिखत तभी वैध होगा जब
 - व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में, वह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - संयुक्त धारकों के मामले में, रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - किसी कंपनी निकाय के मामले में, वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- प्रॉक्सी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि कोई शेयरधारक किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और यदि वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट या एश्युरेन्स का रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेट बैंक के अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत होना चाहिए।
- प्रॉक्सी के साथ
 - मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
 - नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 09.09.2016 को कार्य समय के दौरान या उससे पहले सिंडिकेट बैंक, नेगम सूचना केंद्र, प्रधान कार्यालय, मणिपाल – 576 104 में जमा की जानी चाहिए।
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत राजस्व टिकट लगा न हो।
- बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
- यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो, एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएँ।
- जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित किया है, वह उस लिखत से संबंधित असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
- सिंडिकेट बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाए।



Head Office : Manipal

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)
DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We _____ resident(s) of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholder(s) of SyndicateBank, Manipal, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ **OR** failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of SyndicateBank to be held on 16.09.2016, at 10.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2016.

Please
Affix
₹ 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name :

Address:

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Syndicate Bank with Corporate Information Centre, Manipal – 576 104 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on 09.09.2016.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.

